न्यायालय-विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) जनपद बलरामपुर (उ०प्र०)

(पीठासीन अधिकारी-राहुल सिंह-II (एच०जे०एस०) आई०डी० क्रमांक-यू०पी०-1851)

UPBP010016172018

विशेष सत्र प्रकरण क्र०-54/2018
अपराध क्रमांक-95/2018
धारा-376डी भा०दं०सं० तथा धारा-5/6 पाक्सो एक्ट
संस्थापन दिनांक-15.09.2018
सी.एन.आर.नं०-UPBP010016172018
पुलिस थाना-पचपेड़वा
जनपद-बलरामपुर (उ०प्र०)

उ०प्र० राज्य.......................................अभियोगी

बनाम

संजय आदि.....................................अभियुक्तगण

एवं समेकित

UPBP010019672018

विशेष सत्र प्रकरण क्र०-70/2018
अपराध क्रमांक-95/2018
धारा-376डी भा०दं०सं० तथा धारा-5/6 पाक्सो एक्ट
संस्थापन दिनांक-20.11.2018
सी.एन.आर.नं०-UPBP010016172018
पुलिस थाना-पचपेड़वा
जनपद-बलरामपुर (उ०प्र०)

उ०प्र० राज्य.............................. अभियोगी

बनाम

मुमताज.....................................अभियुक्त

उपस्थितिः-

(i) राज्य की ओर से श्री पवन कुमार शुक्ला, विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित।

(Rahul Singh-II)
Spl. Judge (POCSO Act)
Balrampur (U.P.)
J.O.Code-UP1851

(ii) अभियुक्तगण संजय, भरत व मुमताज की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विकास सिंह कलहंस एवं श्री अश्वनी कुमार त्रिपाठी उपस्थित।

(iii) अभियुक्त शमीम की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राजकुमार श्रीवास्तव उपस्थित।

निर्णय

(आज दिनांक-06.08.2026 को उद्घोषित)

1. पुलिस थाना-पचपेड़वा, जनपद-बलरामपुर (उ०प्र०) द्वारा सम्पूर्ण अन्वेषण कार्यवाही सम्पादित करने के उपरान्त अभियुक्तगण संजय पुत्र सरजू प्रसाद, भारत पुत्र स्व० राम बेलास, शमीम पुत्र शब्बीर निवासीगण नई बाजार स्टेशन रोड पचपेड़वा थाना पचपेड़वा जनपद बलरामपुर (उ०प्र०) के विरूद्ध धारा-धारा-376डी भा०दं०सं० व धारा-5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत आरोप पत्र (प्र०क-13) दिनांक 15.09.2018 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम, बलरामपुर में पेश किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया तथा शेष अभियुक्त मुमताज पुत्र मुर्तजा हुसैन निवासी नई बाजार स्टेशन रोड पचपेड़वा थाना पचपेड़वा जनपद बलरामपुर (उ०प्र०) के विरूद्ध धारा-376डी भा०दं०सं० व धारा-5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत आरोप पत्र (प्र०क-14) दिनांक 20.11.2018 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम, बलरामपुर में पेश किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया।

2. अभियोत्री/पीड़िता (जिसका नाम या जिसके नाम का उल्लेख माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रकरण **भूपेन्द्र शर्मा बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य 2003 एस०सी०सी० 551 तथा निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ 2019(2) एस०सी०सी० 703 तथा धारा-228(क) भा०दं०सं० (एतस्मिनपश्चात् संहिता से सम्बोधित) एवं धारा-33(7) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (एतस्मिनपश्चात् अधिनियम से सम्बोधित)** में उपबंधित विधि एवं प्रावधानों के अनुपालन में अभियोत्री/पीड़िता एवं उसके कुटुम्ब की पहचान

(Rahul Singh-II)
Spl. Judge (POCSO Act)
Balrampur (U.P.)
J.O.Code-UP1851

गोपनीय रखने के आशय से उनके नाम से सम्बोधित न किया जाकर साक्षीगण को उनके क्रम संख्या से सम्बोधित किया जायेगा।

3. माननीय जनपद न्यायाधीश, बलरामपुर के आदेश दिनांक 28.02.2020 एवं 01.12.2022 के अनुपालन में उपरोक्त दोनों सत्र प्रकरण की पत्रावलियां इस न्यायालय को विचारण किये जाने हेतु अन्तरण द्वारा प्राप्त हुईं।

4. यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.04.2022 के माध्यम से उपरोक्त दोनों सत्र प्रकरण की पत्रावलियां एक ही अपराध की घटना एवं पुलिस थाना से सम्बन्धित होने के कारण समेकित की गई थीं, जिनमें निर्णय की सुगमता की दृष्टि से एक ही साक्ष्य से दोनों पत्रावलियों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

5. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी/पीड़िता के पिता (अ०सा०-02) के द्वारा पुलिस थाना-पचपेड़वा जनपद बलरामपुर (उ०प्र०) में एक हस्तलिखित तहरीर (प्र०क-02) इस आशय की दी गई कि दिनांक 17.06.2018 को समय करीब 05.00 बजे शाम फरियादी की लड़की/पीड़िता उम्र करीब 17 वर्ष किसी बात से नाराज होकर घर से कहीं चली गई थी। उसने काफी खोजबीन किया तो आज दिनांक 18.06.2018 को पचपेड़वा रेलवे स्टेशन पर बैठी मिली और आप-बीती बताई। जब वह अपनी लडकी को स्टेशन से लेकर बाहर निकला तो चाय की दुकान पर बैठे तीन लड़कों की तरफ इशारा करके उसकी लड़की ने बताया कि कल दिनांक 17.06.2018 की रात्रि में यह तीनों लड़के व इनके साथ एक लड़का और सभी ने मिलकर उसके साथ स्टेशन के पास स्थित बाड़ा में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया (बलात्कार)। उसने आस-पास के लोगों से इन तीनों लड़कों के बारे में पूछा तो इनका नाम 1. संजय पुत्र सरजू प्रसाद, 2. भारत पुत्र स्व० राम बेलास निवासी स्टेशन थाना पचपेड़वा, 3. शमीम पुत्र शब्बीर निवासी नई बाजार थाना पचपेड़वा मालूम हुआ और चौथे लड़के के बारे में पूछा गया तो मालूम हुआ कि उसका नाम मुमताज पुत्र अज्ञात निवासी स्टेशन थाना पचपेड़वा जनपद बलरामपुर मालूम हुआ। वह अपनी लड़की को लेकर थाना आया है। फरियादी (अ०सा०-2) द्वारा प्रस्तुत तहरीर (प्र०क-02)

(Rahul Singh-II)
Spl. Judge (POCSO Act)
Balrampur (U.P.)
J.O.Code-UP1851

पुलिस थाना-पचपेड़वा जनपद-बलरामपुर पर प्रस्तुत कर अभियुक्तगण के विरूद्ध समुचित वैधानिक कार्यवाही किये जाने की याचना की गई थी।

6. फरियादी (अ०सा०-02) द्वारा पुलिस थाना-पचपेड़वा जनपद बलरामपुर में दी गई लिखित तहरीर (प्र०क-02) के आधार पर अभियुक्तगण संजय, भारत, शमीम एवं मुमताज के विरूद्ध प्रकरण अपराध सं०-95/2018 धारा-376 भारतीय दण्ड संहिता व धारा-3/4 पाक्सो एक्ट तहत पंजीबद्ध किया गया तथा पंजीबद्ध किये गये अपराध का खुलासा जी०डी० कायमी (प्र०क-12) पर दिनांक 18.06.2018 को 19.40 बजे किया गया तथा प्रकरण की विवेचना साक्षी विवेचक अभिषेक कुमार सिरोही (अ०सा०-06) को सौंप दी गई। प्रकरण के विवेचक अभिषेक कुमार सिरोही द्वारा मामले की आंशिक विवेचना की गई, तदोपरान्त उसका स्थानान्तरण हो जाने के कारण प्रकरण की शेष अनुसंधान कार्यवाही साक्षी विवेचक अवधेश राय (अ०सा०-7) द्वारा सम्पादित की गई। उक्त विवेचक द्वारा सम्पूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही सम्पन्न करने के उपरान्त पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के आधार पर नामित अभियुक्तगण संजय, भारत व शमीम के विरूद्ध धारा-376डी भारतीय दण्ड संहिता व धारा-5/6 पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत आरोप-पत्र संख्या-01/2028 दिनांकित 12.09.2018 (प्र०क-13) एवं अभियुक्त मुमताज के विरूद्ध धारा-376डी भारतीय दण्ड संहिता व धारा-5/6 पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत आरोप पत्र सं०-02/2018 दिनांकित 02.11.2018 न्यायालय में प्रस्तुत किये गये।

7. अभियुक्तगण संजय, भारत, शमीम व मुमताज को न्यायालय द्वारा आहूत किया गया। वे सभी न्यायालय उपस्थित आये तथा दिनांक 02.03.2019 को विद्वान पूर्वाधिकारी अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एकेट) कक्ष सं०-एक, बलरामपुर द्वारा अभियुक्तगण संजय, भारत, शमीम तथा मुमताज के विरूद्ध धारा-376डी भारतीय दण्ड संहिता व धारा-5/6 पाक्सो एक्ट के तहत आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने लगाये गये आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

(Rahul Singh-II)
Spl. Judge (POCSO Act)
Balrampur (U.P.)
J.O.Code-UP1851

8. अभियोजन पक्ष की तरफ से उनके कथनों के समर्थन में निम्नानुसार साक्षीगण परीक्षित कराये गये हैः-

अ०सा०-1 - पीड़िता (चक्षुदर्शी साक्षी)
अ०सा०-2 - पीड़िता का पिता (फरियादी)
अ०सा०-3 - बिट्टो रानी (सहायक अध्यापक)
अ०सा०-4 - डा० नरेन्द्र कुमार बाजपेयी (चिकित्सक साक्षी)
अ०सा०-5 - डा० महीकीर्ति सिसोदिया (चिकित्सक साक्षी)
अ०सा०-6 - अभिषेक कुमार सिरोही (विवेचनाधिकारी)
अ०सा०-7 - अवधेश राय (विवेचनाधिकारी)

9. अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नानुसार दस्तावेजी साक्ष्य पेश एवं सिद्ध किये गये हैः-

क्र० सं०	**दस्तावेज/वस्तु का विवरण**	**प्रदर्श नम्बर**	**साबित करने वाले साक्षी का नाम**
1	पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा-164 दं०प्र०सं०	प्रदर्श क-1	पीड़िता (अ०सा०-1)
2	हस्तलिखित तहरीर	प्रदर्श क-2	पीड़िता का पिता (अ०सा०-2)
3	पीड़िता के विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा दी गई सूचना	प्रदर्श क-3	बिट्टो रानी (अ०सा०-3)
4	प्रवेश रजिस्टर की प्रमाणित प्रति	प्रदर्श क-4	बिट्टो रानी (अ०सा०-3)
5	मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट	प्रदर्श क-5	डा० नरेन्द्र कुमार बाजपेयी (अ०सा०-4)
6	पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन	प्रदर्श क-6	डा० महीकीर्ति सिसोदिया (अ०सा०-5)
7	पीड़िता की पूरक मेडिकल रिपोर्ट	प्रदर्श क-7	डा० महीकीर्ति सिसोदिया (अ०सा०-5)
8	पीड़िता की मेडिको लीगल रिपोर्ट	प्रदर्श क-8	डा० महीकीर्ति सिसोदिया (अ०सा०-5)
9	नक्शानजरी घटनास्थल	प्रदर्श क-9	अभिषेक कुमार सिरोही (अ०सा०-6)

(Rahul Singh-II)
Spl. Judge (POCSO Act)
Balrampur (U.P.)
J.O.Code-UP1851

10	अभियुक्त का गिरफ्तारी मेमो	प्रदर्श क-10	अभिषेक कुमार सिरोही (अ०सा०-6)
11	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श क-11	अभिषेक कुमार सिरोही (अ०सा०-6)
12	जी०डी० कायमी	प्रदर्श क-12	अभिषेक कुमार सिरोही (अ०सा०-6)
13	आरोप पत्र दिनांकित 12.09.2018	प्रदर्श क-13	अवधेश राय (अ०सा०-7)
14	आरोप पत्र दिनांकित 02.11.2018	प्रदर्श क-14	अवधेश राय (अ०सा०-7)

10. अभियोजन की ओर से सर्वप्रथम प्रकरण की सबसे महत्वपूर्ण साक्षी पीड़िता (अ०सा०-01) को परीक्षित कराना गया है, जिसने मुख्य परीक्षा के प्रस्तर-1 लगायत 3 में यह साक्ष्य दिया है कि "मैं अभियुक्तगण मे संजय, भारत, समीम व मुमताज में से अभियुक्त समीम को जानती-पहचानती हूँ। प्रकरण के फरियादी मेरे पिता है। मैं प्राथमिक विद्यालय मटिहाना में कक्षा-पांच तक पढ़ी हूं। मेरी जन्मतिथि 12.07.2007 है। घटना दिनांक 17.06.2018 समय 07.00 शाम बजे की है। मेरे पापा ने मुझे डांटा था जिससे मैं गुस्सा होकर अपने घर से बाहर पचपेड़वा स्टेशन चली गई थी। वहां पर मुझे अभियुक्त समीम मिला। वह मुझे पचपेड़वा रेलवे स्टेशन के बगल सागौन के जंगल के पेड़ के नीचे ले गया और मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। मेरा कपड़ा उतारकर और अपना कपड़ा उतारकर अपना पेशाब की नली मेरे पेशाब के रास्ते में डालकर जबरदस्ती बलात्कार किया। जब अभियुक्त समीम मेरे साथ बलात्कार कर रहा था तो मेरा हाथ व मुंह दोनों दुपट्टे से बांध लिया था जिससे मैं चिल्लाना चाहती थी परन्तु चिल्ला नहीं सकी। बलात्कार करने के बाद अभियुक्त समीम मुझे वहीं छोड़कर भाग गया। मेरे पिता जी मुझे ढूंढते हुए स्टेशन पचपेड़वा आये फिर मैं उन्हें रेलवे स्टेशन के पास में बैठी मिली।"

11. साक्षी पीड़िता (अ०सा०-1) ने मुख्य परीक्षा की कंडिका-4 लगायत 6 में यह साक्ष्य दिया है कि "मेरे पिताजी ने मुझे देखा तो मेरे पास आए। मैंने अपने पापा को घटना के बारे में रोते हुए बताया। फिर मेरे पिताजी मुझे पचपेड़वा थाने पर ले गये और घटना की तहरीर दिया। जिस पर घटना की रिपोर्ट लिखी गई। रिपोर्ट लिखने के बाद थाने पर महिला पुलिस ने मेरा बयान लिया था। मैंने

घटना के बारे में महिला पुलिस को बताया था। पुलिस मेरा चिकित्सीय परीक्षण कराने जिला महिला चिकित्सालय बलरामपुर ले गई थी जहां मेरा आंतरिक व बाहरी चिकित्सीय परीक्षण हुआ था। पुलिस ने मजिस्ट्रेट न्यायालय में मेरा कथन कराया था। चिकित्सीय परीक्षण के दौरान मैंने डाक्टर को बयान दिया था कि मैं अपने घर से गुस्सा होकर रेलवे स्टेशन चली गई शाम होने पर मुझे चार लोगो ने (संजय, भारत, शमीम और शब्बीर) फिर बारी-बारी मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया। पुलिसवाले मेरा आयु के संबंध में भी चिकित्सीय परीक्षण कराया था। पुलिसवाले मेरा मजिस्ट्रेट के सामने मेरा बयान कराने लाये थे जहां पर न्यायालय में मेरा बयान हुआ था।"

12. साक्षी पीड़िता (अ०सा०-1) ने मुख्य परीक्षा की कंडिका-7 व 8 में यह साक्ष्य दिया है कि "मैंने मजिस्ट्रेट न्यायालय में दिनांक 28.07.2018 को यह कथन दिया था कि स्टेशन पर मुझे प्यास लगी और मैं पानी पीने गयी तो पीछे से चाय वाला समीम आ गया और मेरा मुंह कपड़े से बंद कर दिया और स्टेशन के बगल लगे सागौन के पेड़ के पास ले गया और वहां मेरे साथ बलात्कार किया। मुझे स्टेशन से ले जाते हुए किसी ने नहीं देखा। घटना हुए लगभग एक महीना हो गया। समय करीब रात 12.00 बजे का दिया था। मेरा कथन (प्र०क-01) है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर बने हैं, तथा ब से ब भाग पर मेरी फोटो चस्पा है। मैंने मजिस्ट्रेट न्यायालय में संजय, भारत और शब्बीर द्वारा बलात्कार किया जाना इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मुझे उनका नाम रेलवे स्टेशन के पास रहने वाले व्यक्तियों ने बताया था। तीनों लोगों का नाम मैंने गलती से लिखा लिया था संजय भारत और शब्बीर द्वारा मेरे साथ कोई बलात्कार नहीं किया गया था।

13. अभियुक्तगण संजय, भारत व मुमताज के विद्वान अधिवक्ता की ओर से साक्षी पीड़िता (अ०सा०-1) से प्रतिपरीक्षा की गई है, जिसकी कंडिका-9 में साक्षी से यह स्वीकार कराया गया है कि संजय, भारत व मुमताज ने मेरे साथ कोई गलत काम नहीं किया था। मैंने इनका नाम कही पर भी नहीं बताया था क्योंकि इन्होनें कुछ भी मेरे साथ नहीं किया था।

(Rahul Singh-II)
Spl. Judge (POCSO Act)
Balrampur (U.P.)
J.O.Code-UP1851

14. अभियुक्त शमीम के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी पीड़िता (अ०सा०-1) से जिरह के पैरा-10 व 11 में यह स्वीकार कराया गया है कि "मैंने अपने पिता को यह बात नहीं बताई थी कि दिनांक 17.06.2018 की रात जब मैं स्टेशन से बाहर निकली तो चार लड़कों ने मेरे साथ बाग में ले जाकर गलत काम किया। मैंने अपने पिता को यह बताया था कि स्टेशन के बाहर के लोगों ने संजय, भारत, शमीम और मुमताज का नाम बताया था। मैं इन चारों को नहीं पहचानती हूँ। साक्षी ने स्वतः कहा कि एक को पहचानती हूँ। मैं मटेहना में रहती हूँ। मुझे नहीं मालूम है कि पचपेड़वा स्टेशन से मेरा घर कितनी दूरी पर है। मेरे पापा ने डांट दिया था, इसलिये मैं गुस्सा होकर घऱ से पचपेड़वा स्टेशन चली गयी थी। पचपेड़वा स्टेशन के आस-पास मेरी कोई रिस्तेदारी नहीं है, घर से मैं पैदल पचपेड़वा आयी थी। मैं घर से शाम 7.00 बजे निकली थी। पचपेड़वा स्टेशन कब पहुंची, मैं नहीं बता सकती हूँ। मैं यह नहीं बता सकती कि पचपेड़वा स्टेशन पर कितनी देर तक रूकी थी। पचपेड़वा स्टेशन जब पहुंची तो पुलिस वाला मिला था। घर से चलकर सीधे पचपेड़वा आयी थी, रास्ते में कहीं नहीं रूकी थी।"

15. दिनांक 23.12.2024 को साक्षी पीड़िता को पुनः परीक्षित कराया गया है, जिसमें जिरह की कंडिका-12 व 13 में साक्षी से अभियुक्त शमीम के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह स्वीकार कराया गया है कि "मैं अपने घर ग्राम मटेहना से घटना के दिन सीधे पचपेड़वा स्टेशन आयी थी, रास्ते में कही रूकी नहीं थी। मैं अकेले आयी थी, कोई साथ में नहीं था। मैंने मजिस्ट्रेट के सामने अपने धारा-164 जा०फौ० के बयान में यह सही बयान दिया था कि घटना के दिन "मैं गांव के कुछ लोगों के साथ ट्रेन से देवीपाटन से घर लौट रही थी, बाकी सब उतर गये और मैं सोयी थी और ट्रेन पचपेड़वा पहुंच गयी, मेरी आंख खुली तो मैं बाहर निकली। स्टेशन पर किसी से पूछा कि कौन-सा स्टेशन है, तो उसने बताया पचपेड़वा।" गवाह को न्यायालय में दिये गये बयान कि मैं अपने घर से पापा के डाटने से गुस्सा होकर पचपेड़वा स्टेशन चली गयी थी और जब घर से चली थी, तब पचपेड़वा स्टेशन सीधे आयी थी, रास्ते में कहीं रूकी नहीं थी और मजिस्ट्रेट के यहा दिया गया बयान "मैं गांव के कुछ लोगों के साथ ट्रेन से देवीपाटन से घर लौट रही थी, बाकी सब उतर गये और मैं सोयी थी और ट्रेन पचपेड़वा पहुंच गयी, मेरी आंख खुली तो मैं बाहर निकली। स्टेशन पर किसी से पूछा कि कौन-

सा स्टेशन है, तो उसने बताया पचपेड़वा।" दोनों बयान में विरोधाभाष होने पर गवाह से पूछा गया कि कौन-सा बयान सही है, तो गवाह ने बताया कि दोनों बयान सही है।

16. अभियुक्त शमीम के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह के पैरा-14 लगायत 16 में साक्षी पीड़िता (अ०सा०-1) से यह स्वीकार कराया गया है कि "मेरे पापा मुझे खोजते-खोजते पचपेड़वा स्टेशन पर घटना के दूसरे दिन सुबह 10.00 बजे पहुंचे थे, फिर मैं अपने पापा के साथ थाने पर गयी। मैंने पापा को जो बात बताई थी, वही पापा ने मेरे रिपोर्ट लिखाया था। मैं थाने पर कब गयी पापा के साथ और कब पहुंची थी और कितनी देर या कितने बजे तक रही मुझे नहीं पता है। जिस दिन गुस्सा होकर मैं घर आयी थी, उसके दूसरे दिन मैं शाम 7.00 बजे अपने घर पहुंची थी। फिर मैं दोबारा थाने पर नहीं गयी। गवाह को उसका धारा-161 जा०फौ० मजीद बयान दिनांकित 09.09.2018 पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि मुझे याद नहीं है। गवाह ने मजीद बयान कि "जब कोर्ट में बयान देने गयी थी, तो वहां जगदीश नाम का व्यक्ति मिला था, मेरे पिताजी के सामने पानी, बिस्कुट लाया मुझे भी दिया, उसने बताया कि पूछने पर केवल शमीम का नाम ही बताना, ज्यादा लोगों को बताओगी, तो मुकदमा खराब हो जायेगा" यह सही बात है। मेरे पिता न्यायालय कक्ष मे पीछे बैठे हैं। मुझे नही मालूम मेरे पिता जी कितना पढ़े है। मेरे पिताजी ने थाने पे जो दरख्वास्त दी थी वह पुलिस ने नहीं लिखी थी किसी दूसरे ने लिखी थी जिसको मैं जानती पहचानती नहीं हूँ। तहरीर गवाह को पढ़कर सुनया गया कि तीनों लड़के व इनके साथ एक लड़का और सभी ने मिलकर मेरे साथ स्टेशन के पास स्थित बाग में ले जाकर गलत काम किया, बलात्कार मैंने आस-पास के लोंगो से तीनों लड़को के बारे में पूछा तो इनका नाम..........समीम पुत्र सब्बीर निवासी नई बाजार थाना-पचपेड़वा मालूम हुआ। गवाह ने बताया कि यह गलत लिखा हुआ हैं।"

17. अभियुक्त शमीम के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह के पैरा-17 लगायत 19 में साक्षी पीड़िता (अ०सा०-1) से यह स्वीकार कराया गया है कि "मैं समीम को पहले से नहीं जानती थी। गवाह को उसका 161 जा०फौ० बयान को पढ़कर सुनाया गया कि "फिर पापा उसका नाम पता करके थाने पर आये" दरोगा जी

(Rahul Singh-II)
Spl. Judge (POCSO Act)
Balrampur (U.P.)
J.O.Code-UP1851

को सही बयान दिया था। पत्रावली में दाखिल आधार कार्ड की प्रति मैंने अपने हस्ताक्षर से बयान देने के पहले न्यायालय में दाखिल किया था। इसमें मेरा नाम, पता व जन्मतिथि वगैरह जो लिखा है, वह सही है। इसमें मेरी जो जन्मतिथि दिनांक 09.08.2004 लिखा है, वह सही है। मैं दो बहन दो भाई हूं। मैं सबसे बड़ी हूँ, मुझसे छोटी मेरी बहन जानकी गिरी है। वह भी पढ़ी-लिखी है, लेकिन कितने दर्जा पढ़ी है, मुझे नहीं मालूम है। उससे छोटा मेरा भाई बालकिशन गिरी है। मैं नहीं जानती हूँ कि वह कितना दर्जा पढ़ा है, लेकिन पढ़ा है। उससे छोटा भाई सत्यनारायण गिरी है। यह कितने दर्जा पढ़ा है, मैं यह भी नहीं जानती हूँ। मुझे किसी भी भाई-बहन की जन्मतिथि नहीं मालूम है और न ही मैं उनकी उम्र बता सकती हूँ। मैं अंदाजन भी अपने भाई-बहनों की उम्र नहीं बता सकती हूँ। यह घटना (बलात्कार) पचपेड़वा स्टेशन पर हुआ था। यह कहना गलत है कि मैं सिखाने-पढ़ाने व अपने पिता के दबाव में शमीम के खिलाफ झूठा बयान दिया है। यह भी कहना गलत है कि मेरे साथ कोई घटना नहीं हुई। यह कहना सही है कि घटना कारित करने वालों का नाम नहीं जानती हूँ।"

18. अभियोजन की ओर से साक्षी फरियादी/पीड़िता के पीड़िता (अ०सा०-2) को परीक्षित कराया गया है, जिसने मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि "मैं अभियुक्तगण संजय, भारत, मुमताज व शमीम मे से शमीम को जानता-पहचानता हूँ। यह पचपेड़वा का रहने वाला है। घटना दिनांक 17.06.2018 का समय शाम 5.00 बजे की है। मेरी लड़की/पीड़िता जिसकी उम्र 17 वर्ष थी, किसी बात से घर से नाराज होकर कहीं चली गयी थी। मैंने काफी खोज-बीन किया तो दिनांक 18.06.2018 को मैं पचपेड़वा रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, तो वहां पर मेरी लड़की बैठी मिली। मेरी लड़की/पीडिता ने मुझे रोते हुए बताया कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। मैंने पूछा कि किसने किया है तो उसने शमीम का नाम बताया। फिर मैं अपनी लड़की को लेकर रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहा था, तो चाय की दुकान पर बैठे आदमियों में से देखकर बताया कि शमीम ने मेरे साथ बलात्कार किया है। दुकान पर बैठे अन्य अभियुक्तगण का नाम वहीं के लोगो ने बताया था, उनके बताने के अनुसार लिखा दिया था। मैं अपनी लड़की को लेकर थाने पर गया और थाना पचपेड़वा के बाहर बैठे एक व्यक्ति से घटना की तहरीर लिखाई। तहरीर लिखने वाले ने मुझे तहरीर पढ़कर सुनाया था, तब मैंने अपना

निशानी अंगूठा लगाया था और थाने पर दिया था, जिस पर घटना की रिपोर्ट लिखी गयी थी। तहरीर (प्र०क-2) है, जिस पर मेरा निशानी अंगूठा लगा है। विवेचना के दौरान दरोगा जी घटनास्थल गये थे, मैंने उनको घटनास्थल दिखाया था, उन्होंने घटनास्थल की नक्शानजरी बनाई थी। विवेचना के दौरान विवेचक ने मेरा बयान लिया था। मैंने घटना के बारे में जो मेरी बेटी ने बताया था, वह बताया था।"

19. अभियुक्तगण संजय, भारत व मुमताज के विद्वान अधिवक्ता की ओर से साक्षी फरियादी (अ०सा०-2) से प्रतिपरीक्षा की गई है, जिसकी कंडिका-3 में यह स्वीकार कराया गया है कि "मेरी बेटी ने मुझे संजय, भारत व मुमताज के द्वारा कोई घटना कारित करने की बात नहीं बताई थी। किसके कहने पर मैंने संजय, भारत व मुमताज को नामित कर दिया था, मुझे याद नहीं है। यह कहना गलत है कि मैं मुकदमे में गलत व झूंठा गवाह बना।"

20. दिनांक 10.01.2025 को अभियुक्त शमीम के विद्वान अधिवक्ता की ओर से साक्षी फरियादी (अ०सा०-2) से जिरह की कंडिका-4 व 5 में यह स्वीकार कराया गया है कि "मेरी/लड़की पीड़िता घटना के दिन घर से कब गयी थी, समय मैं नहीं बता सकता हूँ। पीड़िता घर में किसी को नहीं बताकर गयी थी। घटना के दिन मेरा या मेरे घर वालों से पीड़िता का कोई झगड़ा-विवाद या कहा-सुनी नहीं हुई थी। मेरे दो लड़के व दो लड़की है। मैं अपने किसी भी बच्चे का उम्र नहीं बता सकता हूँ और अंदाजन भी नहीं बता सकता हूँ। मैं यह भी नहीं बता सकता हूँ कि मैंने पीड़िता का स्कूल में नाम कब लिखाया और किसने लिखाया, मैं यह भी नहीं बता सकता हूँ कि मेरे बच्चों का नाम किसने लिखाया। मैंने इस मुकदमे में जो प्र०सू०रि० लिखाया था, वह लोगों के बताने पर लिखाया था। मैं किसी का नाम-पता या शक्ल सूरत नहीं बता सकता हूँ। मुझे यह भी नहीं पता है कि मुकदमा मैंने किन-किन लोगों के खिलाफ पीड़िता के बताने के अनुसार बलात्कार के बारे में लिखाया था। मैंने दरोगा जी को कोई बयान नहीं दिया था, जो बयान दिया है, वह न्यायालय पर ही दिया है। न्यायालय के पहले मैंने कोई बयान नहीं दिया है। मैं पढ़ा-लिखा हूँ। मेरे बच्चे कितना पढ़े हैं, मैं नहीं जानता हूँ। मेरे बच्चे किस स्कूल में पढ़े है, मैं वह भी नहीं जानता हूँ। पीड़िता

किस स्कूल में पढ़ी है और कहां तक पढ़ी है, मैं नहीं बता सकता हूँ। सूचना मिलने पर मैं सीधे घटना वाले दिन सुबह 9-10.00 बजे थाने पर गया था। मैंने थाने पर अपनी लड़की/पीडिता के बारे में किसी भी घटना के बारे में कोई भी सूचना नहीं दिया था।

21. साक्षी फरियादी (अ०सा०-1) से जिरह की कंडिका-6 लगायत 8 में यह भी स्वीकार कराया गया है कि "पीड़िता मुझे घटना वाले दिन थाना पचपेड़वा पर मिली थी। मेरी लड़की ने मुझसे घटना के बारे में कुछ नहीं बताया था। मेरी लड़की/पीड़िता ने मुझे एक लोग के बारे में बताया था। मुकदमा मैंने एक आदमी के खिलाफ लिखाया था। लड़की/पीड़िता जब घटना के बाद घर आयी तब उसने एक आदमी के बारे में बताया था, जिसको वह जानती-पहचानती नहीं थी। अदालत से मुझे बयान देने के लिये कोई समन या नोटिस नहीं मिला था। थाने पर जो प्रार्थना पत्र मैंने दिया था, उसको पढ़कर सोच-समझकर हस्ताक्षर बनाया था। प्रार्थना पत्र किसने लिखा था, मैं उसका नाम-पता, शक्ल सूरत नहीं जानता हूँ। मुझे नहीं मालूम है कि प्रार्थना पत्र लिखने वाला व्यक्ति मुझे कब व कहां मिला था। यह कहना गलत है कि मैंने सिखाने-पढ़ाने के आधार पर मुख्य परीक्षा में झूठा बयान दिया। यह भी कहना गलत है कि पीड़िता के साथ कोई घटना घटित नहीं हुई थी। यह कहना गलत है कि मैंने शक शुभा के आधार पर झूठा मुकदमा लिखवा दिया और झूठा बयान दिया।"

22. अभियोजन की ओर से साक्षी बिट्टो रानी (अ०सा०-3) जो कि पीड़िता के विद्यालय की सहायक अध्यापक है, को परीक्षित कराया गया है, जिसने मुख्य परीक्षा के पैरा-1 में यह साक्ष्य दिया है कि "मैं दिनांक-31.12.2015 से प्राथमिक विद्यालय मटेहना शिक्षा क्षेत्र गैंसड़ी जिला बलरामपुर में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मैं वर्ष 2017 से उक्त विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त हूँ। दिनांक 10.07.2018 को मैं प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर प्राथमिक विद्यालय मटेहना शिक्षा क्षेत्र गैंसड़ी जिला बलरामपुर में तैनात थी, उसी दिन मुकदमा अपराध संख्या-95/18 धारा-376D आई०पी०सी० व धारा-3/4 पाक्सो एक्ट थाना-पचपेड़वा की पीड़िता के संबंध में विवेचक ने मुझसे शैक्षणिक प्रमाण पत्र की मांग की थी।"

(Rahul Singh-II)
Spl. Judge (POCSO Act)
Balrampur (U.P.)
J.O.Code-UP1851

23. साक्षी बिट्टो रानी (अ०सा०-3) ने मुख्य परीक्षा की कंडिका-2 व 3 में यह साक्ष्य दिया है कि "मैंने विवेचक को पीड़िता/छात्रा के शैक्षिक प्रमाण पत्र के बारे में लिखकर दिया था। पीड़िता का नाम मेरे विद्यालय में प्रवेशांक संख्या-1140 पर पीड़िता पिता का नाम व पता अंकित है। अभिलेख के अनुसार पीड़िता की जन्मतिथि 12.07.2007 है। पत्रावली में शामिल हस्तलिखित प्रमाणपत्र (प्र०क-3) है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर बनें हैं। मैं आज अपने साथ स्कालर रजिस्टर की मूल प्रति लेकर आयी हूँ, जिसके एस०आर० नम्बर-1140 में पीड़िता का नाम दर्ज है, उक्त रजिस्टर में पीड़िता की जन्मतिथि दिनांक 12.07.2007 अंकित है। एस०आर० रजिस्टर की सत्यापित प्रति आज मैं न्यायालय मैं दाखिल कर रही हूँ, जो मूल के अनुरूप है। एस०आर० रजिस्टर की सत्यापित प्रति (प्र०क-4) है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर बने हैं। विवेचना के दौरान विवेचक ने मेरा बयान लिया था।"

24. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से साक्षी बिट्टो रानी (अ०सा०-3) से जिरह के पैरा-4 में यह स्वीकार कराया गया है कि "कथित पीड़िता ने हमारे विद्यालय में कक्षा-02 में प्रवेश किया। मेरे विद्यालय के रिकार्ड में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि कक्षा-01 कहां से पास किया था और उसका टी०सी० दिया था कि नहीं। मुझे यह भी नहीं पता है कि पीड़िता का कक्षा-01 में जन्मतिथि क्या है। जिस समय पीड़िता मेरे विद्यालय में प्रवेश लिया था उस समय मैं विद्यालय में कार्यरत नहीं थी। पीड़िता का कोई टी०सी० जारी नहीं किया गया है। पीड़िता ने मेरे विद्यालय से कोई टी०सी० नहीं लिया था और उसका नाम खारिज कर दिया था। प्रवेश रजिस्टर जो मैं साथ लायी हूँ, उसके क्रमांक 1142, 1143 व 1146 में ओवरराइटिंग है। पीड़िता का नामांकन 1140 क्रमांक पर है। जो रजिस्टर मैं लायी हूँ, उस पर किसी भी अध्यापक या अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है न ही पीड़िता के मां-बाप का हस्ताक्षर है और न ही पीड़िता का हस्ताक्षर है। पीड़िता का जन्मतिथि किस आधार पर मेरे विद्यालय में लिखा गया उसका जानकारी मुझे नहीं है। यह कहना गलत है कि मुकदमे को तूल देने के लिए मेरे द्वारा गलत प्रमाणपत्र व गलत बयान दिया गया है।"

(Rahul Singh-II)
Spl. Judge (POCSO Act)
Balrampur (U.P.)
J.O.Code-UP1851

25. अभियोजन की ओर से चिकित्सक साक्षी डा० नरेन्द्र कुमार बाजपेयी (अ०सा०-4) को परीक्षित कराया गया है, जिसने मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि "दिनांक-25.06.2018 को मैं जिला संयुक्त चिकित्सालय बलरामपुर में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर तैनात था। उस दिन मैंने पीड़िता का रेडियोलाजिकल परीक्षण किया था जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा गठित टीम में दांतो के डाक्टर तथा फीजियोथेरिपिस्ट भी शामिल थे, जिसमें एपेफाइसेज, एल्बो, हिप फ्यूज पाई गई थी तथा डिस्टल एण्ड रेडियस अलना फ्यूज्ड नहीं थे। एपिफाइसिस, इलियक क्रैस्ट तथा एस्चियल ट्यूबरोसिटी अपीयर नहीं हुए थे। रेडियोलाजिकल ऐज 14 से 16 वर्ष थी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा गठित टीम के परीक्षण का अवलोकन करने के पश्चात पीड़िता का उम्र 15 वर्ष निर्धारित की थी। मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट (प्रदर्श क-05) है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।"

26. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी डॉ० नरेन्द्र कुमार बाजपेयी (अ०सा०-4) से जिरह के पैरा-3 व 4 में यह स्वीकार कराया गया है कि "पीड़िता का एक्स-रे रिपोर्ट के हिसाब से एल्बो पूरी तरह से फ्यूज हो चुका था। पीड़िता की उम्र रेडियोलाजिस्ट के अनुसार 14 से 16 वर्ष थी। फीजियोलाजिकल के द्वारा पीडिता की उम्र 16 से 17 वर्ष बताई गयी थी। जो उम्र रेडियोलाजिस्ट द्वारा बताई गयी है, उसमें दो वर्ष का अन्तर हो सकता है। दात के सम्बन्ध में जो उम्र निकाली जाती है, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। यह भी नहीं बता सकता हूँ कि उम्र कितनी सही होती है, कितनी ज्यादा या कम होती है। डी०एन०ए० से सही उम्र निकाला जा सकता है, जो इन सब परीक्षण से ज्यादा निश्चित होती है। यह कहना गलत है कि पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से ऊपर थी, लेकिन हम लोगों ने उम्र का गलत निर्धारण करके 14 से 16 वर्ष कर दिया।"

27. अभियोजन की ओर से चिकित्सक साक्षी डा० महीकीर्ति सिसोदिया को पी०डब्लू०-5 के रूप में परीक्षित कराया गया है, जिसने मुख्य परीक्षा की कंडिका-1 व 2 में यह साक्ष्य दिया है कि "दिनांक-20.06.2018 को मैं जिला महिला चिकित्सालय बलरामपुर में लेडी मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात थी।

(Rahul Singh-II)
Spl. Judge (POCSO Act)
Balrampur (U.P.)
J.O.Code-UP1851

उसी दिन महिला कॉ० मंजू पी०एन०ओ० 162770588 थाना पचपेड़वा पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराने हेतु मेरे पास लायी थी, जिसका आंतरिक व बाह्य परीक्षण मेरे द्वारा किया गया था। पीड़िता के माथे के दाहिने ओर काला तिल पहचान चिन्ह के रूप में लिया गया था। पीड़िता के दाहिने हाथ का अंगूठा भी लिया गया। पीड़िता के बताने के अनुसार उस समय आखिरी माहवारी लगभग 15 दिन पहले की थी। पीड़िता की सहमति लेकर मैंने उसका आंतरिक व बाह्य परीक्षण द्वारा शुरू किया था। पीड़िता नें मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल परीक्षण व फॉरेंसिक सैंपल कलेक्शन व पुलिस को सूचना देने के लिए भी सहमति दी थी तथा पीड़िता के निशानी अंगूठे को लेकर मेरे द्वारा प्रमाणित किया गया। उसके बात करने की भाषा हिन्दी थी।"

28. साक्षी डा० महीकीर्ति सिसोदिया (पी०डब्लू०-5) ने मुख्य परीक्षा की कंडिका-3 लगायत 4 में यह साक्ष्य दिया है कि "पीड़िता से मैंने घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किया था तो उसने घटना के बावत मुझे यह बताया था कि वह अपने घर से लगभग 3 दिन पहले गुस्सा होकर रेलवे स्टेशन चली गई थी जहां शाम होने पर चार लोगों ने (संजय, भारत, शमीम और शब्बीर) ने बारी-बारी मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। परीक्षण के समय पीड़िता पूर्णतया अपने होशोहवास में थी। पीड़िता में कोई भी शारीरिक, मानसिक एवं सायको-सोसल डिसएबिलिटी नहीं थी। परीक्षण के दिन पीड़िता माहवारी में नहीं थी। घटना के समय पीड़िता गर्भवती नहीं थी। घटना को अन्जाम देने के लिये किसी भी प्रकार के गर्भनिरोधक का उपयोग नहीं किया गया था। घटना की सूचना मुकदमा अपराध संख्या 54/2018 थाना पचपेड़वा में अंकित थी। घटना को अंजाम कई बार दिया गया था। घटना में चार व्यक्ति शामिल थे। व्यक्ति का लिंग पुरूष था। प्वाइंट नम्बर 15(F) के अनुसार पेनिट्रेशन लिंग के द्वारा वैजाइना में किया गया था एवं सीमन का डिस्चार्ज वैजाइना में किया गया था।"

29. साक्षी डा० महीकीर्ति सिसोदिया (पी०डब्लू०-5) ने मुख्य परीक्षा की कंडिका-5 लगायत 6 में यह साक्ष्य दिया है कि "घटना के पश्चात् एवं परीक्षण के पूर्व पीड़िता ने अपने वस्त्र एवं अन्तः वस्त्र बदल लिये थे और साफ भी कर लिये थे। मल-मूत्र का त्याग भी कर चुकी थी। घटना हुए लगभग डेढ़ माह बीत चुके

थे। घटना से पहले पीड़िता को किसी भी प्रकार का योनि के रास्ते, मल द्वार से, मुंह से डिस्चार्ज की शिकायत नहीं थी। घटना के पश्चात् पीड़िता को योनि से स्त्राव की शिकायत थी। घटना के पश्चात् पीड़िता ने पेशाब में दर्द, मल त्याग करने में दर्द, पेट में दर्द एवं जननांगों में दर्द की शिकायत नही की थी। यह पीड़िता का पहला चिकित्सीय परीक्षण है। परीक्षण में पल्स 90/मिनट, रक्त चाप 90/60 mm mercury, सांस की गति 16/मिनट तापमान सामान्य एवं उसकी पुतलियां सामान्य थी एवं उनका रिएक्शन सामान्य था।सिर के किसी हिस्से में टेंडरनेस नहीं पाई गयी थी। चेहरे पर कोई चोट के निशान नहीं थे। आंखों में कोई लालिमा नहीं थी। होठ एवं गलफड़ में कोई चोट नहीं थी। बाहर से देखने पर कान में कोई चोट नहीं थी। गले, कन्धे एवं छाती पर कोई चोट के निशान नहीं थे। दोनों हाथों के अन्दरूनी एवं बाहरी सतह पर जांघों के अन्दरूनी हिस्सों में, दोनों पैरों में एवं दोनों नितम्बों में बाहरी चोट के कोई निशान नहीं पाये गये।"

30. साक्षी डा० महीकीर्ति सिसोदिया (पी०डब्लू०-5) ने मुख्य परीक्षा की कंडिका-7 लगायत 9 में यह साक्ष्य दिया है कि पीड़िता का आन्तरिक परीक्षण करने पर यूरेथरल मियेटस एण्ड वेस्टीब्यूल, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एवं फोरचैट एवं इन्ट्रोटायट्स में कोई चोट के निशान नहीं पाये गये। हाइमन फटा हुआ पुराना भरा हुआ था। सी०एन०एस०, सी०वी०एस०, रेस्पेरेटरी सिस्टम, चेस्ट एवं एबडामन सामान्य थे। वैजाइनल स्वैब स्मेयर एकत्र किया गया। इन सभी साक्ष्यों को अलग-अलग लिफाफों में सील कर महिला आरक्षी को परीक्षण हेतु अग्रसारित करने के लिये सुपुर्द किया गया। आयु निर्धारण के लिए पीड़िता को मेडिकल बोर्ड बलरामपुर को संदर्भित किया गया। 1. मेडिकोलीगल रिपोर्ट 2. वैजाइनल स्मेयर 3. पैथालॉजी फार्म, उपरोक्त सभी महिला आरक्षी को सुपुर्द किये गये। उसके द्वारा तैयार किया गया पीडिता का चिकित्सीय रिपोर्ट (प्र०क-06) है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

31. साक्षी डा० महीकीर्ति सिसोदिया (पी०डब्लू०-5) ने मुख्य परीक्षा की कंडिका-10 लगायत 12 में यह साक्ष्य दिया है कि "मेरे द्वारा पूरक रिपोर्ट पैथालाजी तथा आयु प्रमाण प्रत्र के आधार पर तैयार की गई। पैथालॉजी रिपोर्ट जो कि डॉ एस0के0 श्रीवास्तव पैथालॉजिस्ट जिला मेमोरियल के द्वारा तैयार की

गई थी, में कोई शुक्राणु नहीं दिखे। पीडिता की आयु परीक्षण के समय उम्र लगभग 15 वर्ष थी। उपरोक्त के अनुसार हाल ही में किसी लैगिंक हिंसा के सम्बन्ध में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती है। पूरक रिपोर्ट (प्र०क-07) है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है तथा सी०एम०एस० डॉ नीना वर्मा द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है। उक्त पूरक रिपोर्ट की मूल प्रति प्रकरण की मूल पत्रावली विशेष सत्र परीक्षण संख्या 54/2018 दस्तावेज है। पत्रावली में शामिल पैथालॉजिस्ट रिपोर्ट कागज संख्या 4क/27 (प्र०क०-8) है। मेडिको लीगल पैथॉलॉजिस्ट रिपोर्ट की ओर साक्षी का ध्यान आकृष्ट कराया गया तो साक्षी ने बताया कि यह रिपोर्ट डॉ एस0के0 श्रीवास्तव के द्वारा बनाई गई थी। मैं उनके हस्ताक्षर को जानती पहचानती हूं। मेरे द्वारा इनके द्वारा दिए गए रिपोर्ट को सीन किया गया था। आयु प्रमाण पत्रकागज संख्या-4क/22 सी०एम०ओ० बलरामपुर द्वारा निर्गत किया गया था जिसमें पीड़िता की आयु 15 वर्ष थी। आयु प्रमाण पत्र पूर्व (प्र०क-05) है, जिसके अ से अ भाग पर सी०एम०ओ० के हस्ताक्षर बने है और मेरे द्वारा सीन है।

32. अभियुक्तगण संजय, भरत व मुमताज के विद्वान अधिवक्ता की ओर से साक्षी डा० महीकीर्ति सिसोदिया (पी०डब्लू०-5) को सुझाव दिये गये हैं कि "यह कहना गलत है कि पीड़िता ने मेरे समक्ष कोई कथन नहीं किया था। यह भी कहना गलत है कि संजय, भरत को पीड़िता द्वारा मेरे समक्ष नामित नहीं किया गया था। यह भी कहना गलत है कि पुलिस प्रपत्रों के आधार पर झूठी व गलत अंकना की। यह भी कहना गलत है कि प्रपत्रों के आधार पर मैंने आज गलत व झूठा बयान दिया है।"

33. अभियुक्त शमीम के विद्वान अधिवक्ता की ओर से साक्षी डा० महीकीर्ति सिसोदिया (पी०डब्लू०-5) से जिरह के पैरा क्र०-14 में यह स्वीकार कराया गया है कि "मैंने आयु निर्धारण के बारे में कोई मेडिकल परीक्षण नहीं किया है। वह मेडिकल बोर्ड द्वारा किया गया है। मेडिकल परीक्षण के दौरान पीड़िता के अन्दरूनी व बाहरी भाग पर कोई चोट के निशान नहीं है। मेडिकल के लिए पीड़िता से सहमति ली गई थी। दौरान परीक्षण मुझे पीड़िता के साथ किसी भी प्रकार का कोई यौन हिन्सा के साक्ष्य नहीं दिखे। पीड़िता के स्मियर स्लाइड

परीक्षण में किसी भी प्रकार का कोई शुक्राणु नहीं मिले थे। यह कहना गलत है कि पीड़िता ने मेरे समक्ष समीम द्वारा जबरदस्ती बलात्कार करने की बात नहीं बताई थी।"

34. अभियोजन साक्षी विवेचक अभिषेक कुमार सिरोही (अ०सा०-6) ने मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि "दिनांक 18.06.2018 को मैं प्रभारी निरीक्षक के पद पर थाना पचपेड़वा जनपद बलरामपुर में तैनात था। दिनांक 18.06.2018 को मु०अ०सं०-95/2018 धारा-376डी ता०हि० व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना पचपेड़वा की विवेचना मेरे द्वारा की गई। दिनांक-18.06.2018 को मेरे द्वारा नकल चिक एफ० आई० आर० नकल रपट कायमी, बयान कायमी प्र०सू०रि० लेखक हे० अमलेश कुमार वर्मा का अंकित किया दिनांक 19.06.2018 को मेरे द्वारा बयानवादी प्रमोद गिरि का अंकित कर वादी के निशानदेही पर निरीक्षण घटनास्थल किया निरीक्षण घटनास्थल संकेत (A)-स्थान पर पीड़िता के साथ अभियुक्तगणों द्वारा मिल कर बलात्कार करना बताया गया है। नंबर (2)->-> संकेत से पीड़िता को उठा ले जाकर खैर के जंगल में बलात्कार करना बताया गया है। नंबर (3)->>->> संकेत से अभियुक्तगणों का मेरी लड़की से बलात्कार करके मेरी लड़की को वहीं छोड़कर जाना बताया गया है। पत्रावली में शामिल नक्शानजरी (प्र०क-9) है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर बने है।"

35. साक्षी विवेचक अभिषेक कुमार सिरोही (अ०सा०-6) ने मुख्य परीक्षा में आगे यह साक्ष्य भी दिया है कि "अभियुक्तगण भारत, संजय कुमार, शमीम की गिरफ्तारी मेरे द्वारा की गयी एवं उनका बयान अंकित किया गया पत्रावली में शामिल गिरफ्तारी मेमो अभियुक्तगण भारत पुत्र स्व० रामवेलास निवासी रेलवे स्टेशन पचपेड़वा थाना पचपेड़वा जनपद बलरामपुर व शमीम पुत्र शब्बीर निवासी मोहल्ला नई बाजार थाना पचपेड़वा जनपद बलरामपुर व संजय कुमार पुत्र स्व० सरजू प्रसाद निवासी रेलवे स्टेशन पचपेड़वा थाना पचपेड़वा जनपद बलरामपुर को दिनांक 19.06.2018 समय 11.20 बजे स्थान लक्ष्मीनगर तिराहे से 100-150 कदम बढ़नी की तरफ से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी मेमो पर मेरे व मेरे हमराही उमेश कुमार वाजपेयी कां०, मनोज कुमार कां०, सफात व कां० नरेन्द्र मौर्य मौजूद थे। गिरफ्तारी मेमो (प्र०क-10) है जिसके अ से अ भाग पर मेरे

हस्ताक्षर बने हैं। मेरे स्थानान्तरण के बाद विवेचना प्रभारी निरीक्षक अवधेश कुमार राय को दी गयी।"

36. साक्षी विवेचक अभिषेक कुमार सिरोही (अ०सा०-6) ने मुख्य परीक्षा में आगे यह साक्ष्य भी दिया है कि "पत्रावली में शामिल कागज संख्या 3क/1 लगायत 3क/3 कम्प्यूटर आपरेटर द्वारा जो कि वादी के तहरीर के आधार पर अक्षरशः टाइप किया गया था चिक एफ०आई०आर० (प्र०क-11) है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर बने हैं। पत्रावली में शामिल कागज सं० 4क/6 कम्प्यूटराइज कायमी जी.डी. कां० मुहर्रिर अमलेश कुमार वर्मा द्वारा टाइप किया गया था जो कि (प्र०क-12) है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर बने है।"

37. अभियुक्तगण संजय, भारत व मुमताज के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी विवेचक अभिषेक कुमार सिरोही (अ०सा०-6) से पैरा-6 में जिरह की गई है कि "यह कहना गलत है कि मैंने वादी का कोई भी 161 सी.आर.पी.सी. का बयान नही लिया बल्कि अपने मन से उनका 161 सी.आर.पी. सी. का बयान लिख लिया। यह भी कहना गलत है कि मैने दौरान विवेचना झूठे व गलत प्रपत्र तैयार किये। यह भी कहना गलत है कि मैंने झूठे व गलत तथ्यों के आधार पर विवेचना की। यह भी कहना गलत है कि मैं मुकदमें में झूठा व गलत गवाह बना। यह भी कहना गलत है कि मैंने आज न्यायालय पर झूठी व गलत गवाही दी।"

38. अभियुक्त शमीम के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी विवेचक अभिषेक कुमार सिरोही (अ०सा०-6) से पैरा-7 व 8 में जिरह की गई है कि "मेरे द्वारा मुल्जिम को घटनास्थल के एकदम पास से गिरफ्तार नही किया गया था। पीड़िता द्वारा अपने बयानों में अभियुक्तगण के नामों का जिक्र नही किया था। मेरे द्वारा चाय के दुकान वालों का बयान नही लिया गया था। घटनास्थल के आसपास या स्टेशन के किसी अधिकारी या कर्मचारी का बयान नही लिया था। रेलवे स्टेशन पर सिविल पुलिस की ड्यूटी लगातर नही लगाई जाती है कभी कभी जी.आर.पी. पुलिस रहती है। रेलवे स्टेशन पचपेड़वा पर मेरे द्वारा पता नही किया गया कि घटना वाले दिन कोई जी.आर.पी. का पुलिस या सिविल पुलिस आर.पी.एफ. का

कोई सिपाही अधिकारी था कि नही। मैं विवेचक पीड़िता के गांव नही गया था मुझे जानकारी नही है कि पीड़िता का गांव कितनी दूरी पर है।"

39. अभियुक्त शमीम के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी विवेचक अभिषेक कुमार सिरोही (अ०सा०-6) से पैरा-9 व 10 में जिरह की गई है कि "पीड़िता के पिता ने अपना पता ग्राम मटेहना थाना कोतवाली गैंसड़ी जनपद बलरामपुर बताया था। मैंने पीड़िता अथवा कथित अभियुक्तों के मोबाइल का कोई लोकेशन नही निकलवाया था। चूंकि विवेचना के दौरान मेरा स्थानान्तरण हो गया था। आगे की कार्यवाही मैने नही की थी। आगे विवेचक ने लोकेशन निकलवाया कि नही मुझे नही पता। यह कहना गलत है कि मैंने गलत विवेचना किया और गलत तरीके से अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। यह भी कहना गलत है कि अभियुक्तों के विरुद्ध कोई साक्ष्य न होने के बाउजूद मैंने अभियुक्तो को गिरफ्तार किया।"

40. साक्षी विवेचक अवधेश राय (अ०सा०-7) ने मुख्य परीक्षा की कंडिका-1 व 2 में यह साक्ष्य दिया है कि "मैं दिनांक 26.06.2018 को बतौर प्रभारी निरीक्षक के पद पर थाना पचपेड़वा, जनपद बलरामपुर में तैनात था। दिनांक-26.06.2018 को मु०अ०सं०-95/2018 धारा-376D, भा०दं०सं० व धारा-3/4 पाक्सो एक्ट की विवेचना मेरे पूर्वाधिकारी अभिषेक सिरोही के स्थानान्तरण के उपरान्त मेरे द्वारा ग्रहण की गयी। नियमानुसार विवेचना ग्रहण कर पर्चा-03 किता किया गया। दिनांक-02.07.2018 को न्यायालय से अभियुक्त की 14 दिवस की रिमाण्ड की याचना की गयी। दिनांक-05.07.2018 को किता कर पूर्व विवेचक द्वारा किता पर्चा-01 व 02 अवलोकन किया गया तथा पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन कर सी०डी० में अंकित किया गया। दिनांक-10.07.2018 को पीड़िता के शैक्षिक अभिलेखों में अंकित जन्मतिथि के संबन्ध में विद्यालय से प्रमाण-पत्र लिया जिसमें पीड़िता की जन्मतिथि-12.07.2007 अंकित है एवं अभियुक्त मुमताज की पतारसी-सुरागरसी की गयी और जिसे सी०डी० में अंकित किया गया।"

(Rahul Singh-II)
Spl. Judge (POCSO Act)
Balrampur (U.P.)
J.O.Code-UP1851

41. साक्षी विवेचक अवधेश राय (अ०सा०-7) ने मुख्य परीक्षा की कंडिका-3 लगायत 5 में यह साक्ष्य दिया है कि "दिनांक-15.07.2018 एवं 17.07.2018 को न्यायालय से अभियुक्त की 14 दिवस की रिमाण्ड की याचना की गयी एवं पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा-164 सी०आर०पी०सी० कराने हेतु कहा गया तो बताया गया उसकी तबियत खराब है अभी बयान हो पाना संभव नहीं है। दिनांक-20.07.2018 को अभियुक्त मुमताज की पतारसी एवं सुरागरसी की गयी। दिनांक-28.07.2018 को पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा-164 सी०आर०पी०सी० अंकित कराया गया एवं सी०डी० में अंकित किया। दिनांक-30.07.2018 व 13.08.2018 को माननीय न्यायालय से अभियुक्त मुमताज की 14 दिवस की याचना की गयी। दिनांक-20.08.2018 को बयान स्वतंत्र साक्षी जगदीश कश्यप व हरीराम सिंह का अंकित किया। दिनांक-27.08.2018 को माननीय न्यायालय से अभियुक्त मुमताज का गैर जमानती वारंट व धारा-82 सी०आर०पी०सी० की कार्यवाही की याचना की गयी। दिनांक-29.08.2018 को मजीद बयान वादी का अंकित किया। दिनांक-04.09.2018 को अभियुक्त मुमताज की पतारसी-सुरागरसी की गयी लेकिन अभियुक्त नहीं मिला। दिनांक-09.09.2018 को मजीद बयान पीड़िता का अंकित किया गया एवं अभियुक्त मुमताज की पतारसी सुरागरसी की गयी तथा प्राप्त साक्ष्य की विवेचना से मुकदमा उपरोक्त में धारा-3/4 पॉक्सो-एक्ट का विलोपन करते हुए धारा-5/6 पॉक्सो-एक्ट की वृद्धि की गयी।"

42. साक्षी विवेचक अवधेश राय (अ०सा०-7) ने मुख्य परीक्षा की कंडिका-6 व 7 में यह साक्ष्य दिया है कि "दिनांक-10.09.2018 को न्यायालय से अभियुक्त मुमताज की 14 दिवस की रिमाण्ड की याचना की गयी। दिनांक-11.09.2018 को अभियुक्त मुमताज के विरूद्ध न्यायालय से एन०बी० डब्लू० प्राप्त कर गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया गया, नहीं मिला। पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा-161 सी०आर०पी०सी० अंकित करने वाली महिला कांस्टेबल निशा देवी का व पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराने वाली महिला कांस्टेबल मंजू देवी का बयान अंकित किया गया। दिनांक-11.09.2018 को अभियुक्त मुमताज की पतारसी-सुगारसी की गयी व न्यायालय से 14 दिवस की याचना की गयी। दिनांक-12.09.2018 को पीड़िता की माँ शीला देवी पत्नी प्रमोद गिरी का बयान अंकित किया गया एवं पीड़िता के शैक्षिक प्रमाण-पत्र जारी करने वाली प्रधानाध्यापक

श्रीमती बिट्टो रानी प्राइमरी पाठशाला मटेहना शि०क्षे० गैसड़ी का बयान अंकित किया गया जिसमें पीड़िता की जन्मतिथि-12.07.2007 अंकित है। बयान गवाह चंद्रिका प्रसाद मौर्य व डॉ० महिकीर्ती सिसोदिया बयान कांस्टेबल मोहर्रिर कुलदीप यादव का अंकित किया।"

43. साक्षी विवेचक अवधेश राय (अ०सा०-7) ने मुख्य परीक्षा की कंडिका-8 में यह साक्ष्य दिया है कि "अब तक की तमामी विवेचना नकल चिक, नकल रपट, बयान वादी, बयान गवाहान, बयान पीड़िता, निरीक्षक घटनास्थल एवं मेडिकल रिपोर्ट के परसीलन से अभियुक्त संजय पुत्र सरजू प्रसाद, अभियुक्त भारत पुत्र स्व० रामवेलास, अभियुक्त समीम पुत्र शब्बीर निवासी निकट रेलवे स्टेशन थाना पचपेड़वा, बलरामपुर के विरूद्ध जुर्म धारा-376D भा०दं०सं० व धारा-5/6 पॉक्सो-एक्ट का बखूबी साबित होने पर आरोप-पत्र सं०-01 न्यायालय दिनांक-12.09.2018 को प्रेषित किया गया था। पत्रावली में शामिल कागज सं०-4क/66 लगायत 4क/72 आरोप-पत्र जोकि प्रदर्श क-13 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर बनें हुए है।"

44. साक्षी विवेचक अवधेश राय (अ०सा०-7) ने मुख्य परीक्षा की कंडिका-9 व 10 में यह साक्ष्य दिया है कि "दिनांक-13.09.2018 को S.C.D.-I, दिनांक-25.09.2018 S.C.D.-II, दिनांक-29.09.2018 S.C.D.-III, दिनांक-03.10.2018 S.C.D.-IV, दिनांक-10.10.2018 S.C.D.-V, दिनांक-11.10.2018 S.C.D.-VI, दिनांक-12.10.2018 S.C.D.-VII, में अभियुक्त की पतारसी-सुरागरसी की गयी एवं दिनांक-14.10.2018 S.C.D.-VIII, दिनांक-22.10.2018 S.C.D.-IX, में अभियुक्त की तलाश की गयी एवं न्यायालय से धारा-82 व 83 सी०आर०पी०सी० को प्राप्त करने हेतु याचना की गयी थी।दिनांक-22.10.2018 S.C.D.-IX A, में न्यायालय से धारा-82 सी०आर०पी०सी० प्राप्त की गयी। दिनांक-25.10.2018 S.C.D.-X, में अभियुक्त मुमताज पुत्र मुर्तजा निवासी निकट रेलवे स्टेशन थाना पचपेड़वा, बलरामपुर का आत्मसमर्पण न्यायालय में हुआ जिसे न्यायालय ने जेल भेजा। दिनांक-02.112018 S.C.D.-XI, न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर अभियुक्त मुमताज का बयान अंकित किया गया।"

(Rahul Singh-II)
Spl. Judge (POCSO Act)
Balrampur (U.P.)
J.O.Code-UP1851

45. साक्षी विवेचक अवधेश राय (अ०सा०-7) ने मुख्य परीक्षा की कंडिका-11 में यह साक्ष्य दिया है कि "अब तक की तमामी विवेचना नकल चिक, नकल रपट, बयान वादी, बयान गवाहान, बयान पीड़िता, निरीक्षक घटनास्थल एवं मेडिकल रिपोर्ट के परसीलन से अभियुक्त मुमताज पुत्र मुर्तजा हुसैन निवासी निकट रेलवे स्टेशन थाना पचपेड़वा, बलरामपुर के विरूद्ध जुर्म धारा-376D भा०दं०सं० व धारा-5/6 पॉक्सो-एक्ट का बखूबी साबित होने पर आरोप-पत्र न्यायालय दिनांक-02.11.2018 को प्रेषित किया गया था। पत्रावली में शामिल कागज सं०-3क/22 लगायत 3क/29 आरोप-पत्र संख्या-02 जोकि प्रदर्श क-14 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर बनें हुए है।"

46 अभियुक्तगण संजय, भारत व मुमताज की ओर से साक्षी विवेचक अवधेश राय (अ०सा०-7) से प्रतिपरीक्षा की गई है, जिसकी कंडिका-12 व 13 में साक्षी से यह स्वीकार कराया गया है कि यह सही है कि वादी का बयान मुकदमे के पूर्व विवेचक द्वारा अंकित किया गया था और इस मुकदमे में पीड़िता का बयान मेरे पूर्व विवेचक द्वारा महिला आरक्षी की अंकना के आधार पर उसका बयान किता केसडायरी किया गया था। विवेचना के दौरान मैंने पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा-164 दं०प्र०सं० का अवलोकन किया गया था, उक्त बयान में पीडिता ने संजय, भारत, मुमताज के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई कथन नहीं किया था। यह कहना गलत है कि मैंने गलत विवेचना करके अभियुक्तगण संजय, भारत व मुमताज को बतौर फर्जी अभियुक्त न्यायालय में प्रस्तुत किया। यह भी कहना गलत है कि मैं मुकदमें में झूंठा गवाह बना। यह कहना गलत है कि वादी ने विवेचना के दौरान कोई कथन नहीं किया था, मुकदमा बनाने के लिए उसका कथन मैंने स्वयं अंकित कर दिया था। यह सही है कि मैंने विवेचना के क्रम में धारा-161(3) के बयान के देखने व सुनने का कोई तस्किरा अंकित नहीं किया है। यह कहना गलत है कि मुकदमे में अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा बनाने की गरज से जानबूझकर झूंठा व गलत कथन न्यायालय के समक्ष किया है।"

47. अभियुक्त समीम के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी विवेचक अवधेश राय (अ०सा०-7) से जिरह में यह स्वीकार कराया गया है कि 'मैंने विवेचना ग्रहण करने पर पूर्व पर्चों का अवलोकन किया था जिसमें मैंने वादी की तहरीर व प्र०सू०

रिपोर्ट व अन्य पर्चों का अवलोकन किया था और तहरीर में वादी ने "तीन लड़को की तरफ इशारा करते हुए बताया कि यही लड़के है और एक लड़का और था और चिक में यह भी लिखा था कि आस-पास के लोगों ने उन लड़को का नाम पता जानना चाहा तो उन लड़को का नाम 1. संजय पुत्र सरजू प्रसाद, 2.भारत पुत्र स्व० रामविलास, 3.समीम पुत्र शब्बीर, 4. मुमताज पुत्र अज्ञात।" तहरीर के आधार पर ही चिक में चार अभियुक्त 1. संजय पुत्र सरजू प्रसाद, 2.भारत पुत्र स्व० रामविलास, 3.समीम पुत्र शब्बीर, 4. मुमताज पुत्र अज्ञात को नामजद किया था। पीड़िता ने अपने बयान धारा-161 सी०आर०पी०सी० में "मेरा नाम सरस्वती है। पिता का नाम प्रमोद है........उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए कहा। यही मेरा बयान है।" बयान दिया था और उसके बयान देने के आधार पर यह बयान महिला कांस्टेबल निशा देवी ने लिखा था जो पत्रावली में दाखिल कागज सं०-4 क/12 है।"

48. साक्षी विवेचक अवधेश राय (अ०सा०-7) से जिरह में यह भी स्वीकार कराया गया है कि "यह कहना सही है कि पीड़िता ने अपने धारा-161 सी०आर०पी०सी० के बयान में समीम पुत्र शब्बीर निवासी नई बाजार, पचपेड़वा जनपद बलरामपुर को नामित नहीं किया था अन्य किसी को भी नामित नहीं किया था। पीड़िता ने अपने बयान धारा-161 सी०आर०पी०सी० से भिन्न बयान बयान धारा-164 सी०आर०पी०सी० में दिया था। मैंने बयान धारा-164 सी०आर०पी०सी० का अवलोकन किया था। पीड़िता ने अपने बयान में बताया था कि पचपेड़वा स्टेशन पर दो पुलिसवालें बैठे थे उन्होंने हमको बुलाया और पूछा इतनी रात कहां से आ रही हो। मैंने सारी बात पुलिसवालों को बतायी तो समीम अपनी दुकान बंद कर रहा था पुलिसवालें हम दोनों को थाने ले गये तब पुलिसवालें ने मेरे पिता को फोन करके बुलाया। बयान धारा-164 सी०आर०पी०सी० में जिन पुलिसवालों के बारे में बताया था और पुलिस द्वारा थाने पर ले जाना बताया था उन पुलिसवालों का हमनें बयान नहीं लिया क्योंकि उन पुलिसवालों का ट्रेस नहीं हुआ था। उपरोक्त पुलिसवालों को खोजने अथवा उनको पता करने के संबन्ध में कोई पर्चा किता नहीं किया और किसी पर्चे में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया।"

(Rahul Singh-II)
Spl. Judge (POCSO Act)
Balrampur (U.P.)
J.O.Code-UP1851

49. साक्षी विवेचक अवधेश राय (अ०सा०-7) से जिरह में यह भी स्वीकार कराया गया है कि "मैंने इस मुकदमें की कायमी जी०डी० का भी अपने विवेचना में अवलोकन किया था जिसमें पीड़िता ने धारा-164 सी०आर०पी०सी० के बयान में पुलिसवालों व समीम के साथ थाने पर जाना बताया था, उनके आमद का कोई उल्लेख नहीं है। इसमें मैंने वादी मुकदमा के गांव जाकर पीड़िता का मजीद बयान लेने हेतु तलाश किया था। पीड़िता के धारा-161, 164 सी०आर०पी०सी० के बयान की भिन्नता के बारे में बयान लेना था। पर्चा नं०-17 में मैंने दिनांक-09.09.2018 में पीड़िता के गांव सरकारी जीप से महिला कांस्टेबल के साथ उसके गांव मटैहना आया पीड़िता अपने पिता प्रमोद गिरी के साथ मौजूद मिली। पीड़िता का मजीद बयान पीड़िता के परिवारजनों व महिला कांस्टेबल सरिका शर्मा व निशा चौधरी के समक्ष लिया। मजीद बयान मुझे धारा-161, 164 सी०आर०पी०सी० के बयान की भिन्नता के आधार पर लेना आवश्यक था जिससे निष्पक्ष व पारदर्शी विवेचना हो सके। कि जब मैं कोर्ट में बयान देने गयी थी तो वही पर जगदीश नाम का व्यक्ति मिला जो मेरे पिता के सामने पानी बिस्कुट लाया मुझे भी दिया। उसने बताया कि पूछने पर केवल समीम का नाम ही बताना ज्यादा लोग बताओगी तो मुकदमा खराब हो जायेगा। अतः मैंने केवल समीम का ही नाम बयान में बता दिया था।" यह बयान आने के बाद मैंने जगदीश नाम का व्यक्ति का जो नाम आया था उस जगदीश की न मैंने कोई तलाश की और न ही उसका कोई बयान लिया कि क्यों विवेचना में उसने हस्तक्षेप किया और न ही मैंने उसके खिलाफ कोई कार्यवाही किया और न ही पर्चे में इसका कोई उल्लेख किये।

50. साक्षी विवेचक अवधेश राय (अ०सा०-7) से जिरह में यह भी स्वीकार कराया गया है कि "पचपेड़वा स्टेशन पर थाना स्थानीय से कोई ड्यूटी नहीं रहती है वहां पर जी०आर०पी० की पुलिस रहती है। मैंने पचपेड़वा स्टेशन से संबन्धित पचपेड़वा स्टेशन पर तत्समय तैनात किसी अधिकारी का बयान नहीं लिया था, एक कर्मचारी हरेराम सिंह (प्वांइट मैन) का बयान लिया था। मैंने किसी जी०आर०पी० का बयान नहीं लिया था। मैंने विवेचना ग्रहण करने, पर्चा किता करने तथा विवेचना समाप्त करने का जो पर्चा किता किया था उसमें कोई समय मैंने नहीं डाला समय डालना आवश्यक नहीं होता है केवल जी०डी० कायमी

(Rahul Singh-II)
Spl. Judge (POCSO Act)
Balrampur (U.P.)
J.O.Code-UP1851

में किता किया था। मैं जब-जब अपने थानें से वादिनी के गांव मटैहना जो थाना गैंसड़ी में पड़ता है विवेचना के संबन्ध में गया तो मेरी थाने से रवानगी हुई थी जब लौटकर आता था तो मेरी आमद थाने की जी०डी० मे होती थी लेकिन एक भी जी०डी० की नकल मैंने किता केश डायरी नहीं किया क्योंकि मैंने उसकी आवश्यकता नहीं समझी। पीड़िता ने अपने धारा-161, 164 सी०आर०पी०सी०, मजीद बयान में यह बयान नहीं दिया था कि अभियुक्त समीम ने मेरा हांथ और मुँह दोनों दुपट्टे से बांध लिया था। यह कहना गलत है कि मैंने गलत विवेचना किया, गलत प्रपत्र तैयार किये और गलत आरोप-पत्र दाखिल किया। पीड़िता ने अपने धारा-161, 164 सी०आर०पी०सी०, मजीद बयान में यह बयान नहीं दिया था कि मेरे पिता मुझे ढूढते हुए पचपेड़वा स्टेशन आये और मैं उन्हें वहां बैठी मिली और मेरे पिता जी मुझे थाने ले गये और तहरीर दिया। इस प्रकार का कोई भी बयान विवेचना के दौरान किसी भी स्तर पर नहीं दिया था।"

51. अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये सभी साक्षीगण का साक्ष्य अंकित करने के पश्चात अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा-313 दंड प्रकिया संहिता अंकित किये गये, जिसमें अभियुक्तगण संजय व भारत ने यह कथन किये हैं कि अभियोजन साक्षीगण के बयान गलत हैं। अभियोजन साक्षीगण ने मुकदमा बनाने के लिए गलत व झूठे कागजात तैयार किये और न्यायालय पर झूंठी गवाही दी। विवेचक द्वारा गलत विवेचना की गई, फर्जी कागजात तैयार किये, गलत मुकदमे में फर्जी आरोप पत्र प्रस्तुत किया। अभियुक्तगण उपरोक्त ने प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत करने से इन्कार करते हुए यह बचाव लिया है कि वे बेगुनाह हैं। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, उनके साथ न्याय किया जावे।

52. अभियुक्त शमीम ने यह कथन किया है कि अभियोजन साक्षीगण के बयान गलत हैं। चिकित्सक द्वारा पीड़िता की गलत उम्र निर्धारित की गई है। गलत प्रपत्र तैयार किये गये, गलत रिपोर्ट दी गई तथा गलत तरीके से साबित किया गया। गलत प्रथम सूचना रिपोर्ट व प्रपत्र तैयार किया। विवेचक द्वारा गलत विवेचना किया, गलत प्रपत्र तैयार किया, गलत तरीके से आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया तथा झूंठा बयान दिया। अभियुक्त शमीम ने यह बचाव लिया है कि वह निर्दोष है, वह लगभग 10 वर्षों से डीजल वाली टैम्पू पचपेड़वा से बढ़नी

(Rahul Singh-II)
Spl. Judge (POCSO Act)
Balrampur (U.P.)
J.O.Code-UP1851

चलाता है, पहले किराये पर चलाता था, वर्ष 2019 में बैंक से लोन लेकर टैम्पू निकलवाकर चला रहा है। कथित पीड़िता को प्रार्थी जानता-पहचानता नहीं है और न ही कथित घटना के समय कथित पीड़िता से उसकी कोई मुलाकात हुई है, शक-सुबहा के आधार पर प्रार्थी को झूंठा फंसाय गया है। पुलिस ने अपनी कार्यगुजारी दिखाने के लिए झूंठा फंसा दिया है, प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी के चार लड़कियां हैं, जिसमें तीन की शादी की है तथा एक की शादी बाकी है। प्रार्थी अपने बच्चों, पत्नी तथा माता-पिता की देखभाल, भरण-पोषण करने वाला एक कमाऊ व्यक्ति है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कोई घटना कारित नहीं की गई है।

53. अभियुक्त मुमताज की ओर से यह कथन किये गये हैं कि अभियोजन साक्षीगण के बयान गलत हैं, मुकदमा बनाने के लिए गलत व झूंठे कागजात तैयार किये और न्यायालय पर झूंठी गवाही दी, विवेचक द्वारा गलत विवेचक कर आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त मुमताज ने प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत करने से इन्कार किया है और यह बचाव लिया है कि वह बेगुनाह है। उसने कोई अपराध नहीं किया है, उसके साथ न्याय किया जाये।

54. अभियुक्तगण का कथन अंकित करने के पश्चात् प्रकरण अंतिम तर्क श्रवण किये जाने हेतु नियत किया गया, उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये अंतिम तर्क का श्रवण किया गया और प्रकरण निर्णय हेतु नियत किया गया।

55. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा पत्रावली पर लिखित बहस प्रस्तुत की गई है तथा यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा घटना दिनांक 17.06.2018 को फरियादी की नाबालिग पुत्री/ पीड़िता उम्र लगभग 17 वर्ष के साथ जबरदस्ती सामूहिक बलात्कार कर गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला किया गया तथा उक्त अपराध कारित करने हेतु आपराधिक बल प्रयुक्त किया गया, जिसके सम्बन्ध में पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है, अतः अभियुक्तगण को कठोर दंड से दंडित किया जावे, जबकि खण्डन में बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा यह तर्क दिया गया है कि पत्रावली में

अभियुक्तगण के विरूद्ध रंचमात्र भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं है, अतः साक्ष्य के अभाव के आधार पर अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जावे।

56. न्यायालय द्वारा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक तथा अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषकगण के तर्कों का श्रवण किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक् अवलोकन किया गया।

विश्लेषण एवं निष्कर्ष

57. अभियोजन कथानक व अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत तर्कों के आधार पर इस प्रकरण में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया जाना आवश्यक है:-

1. घटना के समय पीड़िता की आयु।
2. प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलम्ब का प्रभाव।
3. अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य की विश्वसनीयता तथा अभियुक्त के विरूद्ध आरोप साबित होना या न होना।

घटना के समय पीड़िता की आयु

58. पक्षकारों के उपरोक्त तर्कों के आलोक में न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम घटना दिनांक को पीड़िता की अवयस्कता के सम्बन्ध में विचार किया जाना है, जिसके अनुक्रम में न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखगत साक्ष्य का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि फरियादी द्वारा हस्तलिखित तहरीर (प्र०क-02) में पीड़िता की उम्र 17 वर्ष लेख कराई गई है। इसके अलावा पीडिता के बयान अन्तर्गत धारा-161 दं०प्र०सं० में पीड़िता की आयु का कोई उल्लेख नहीं है। धारा-164 दं०प्र०सं० के बयान में पीड़िता की उम्र करीब 13 वर्ष होना लेख है।

59. प्रकरण की सबसे महत्वपूर्ण साक्षी पीडिता (पी०डब्लू०-1) है, जिसने उम्र के बावत मुख्य परीक्षा में यह परिसाक्ष्य दिया है कि वह प्राथमिक विद्यालय

(Rahul Singh-II)
Spl. Judge (POCSO Act)
Balrampur (U.P.)
J.O.Code-UP1851

मटिहाना में कक्षा-पांच तक पढ़ी है। उसकी जन्मतिथि दिनांक 12.07.2007 है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी पीड़िता (पी०डब्लू०-1) से जिरह के पैरा-17 में यह स्वीकार कराया गया है कि "...पत्रावली में दाखिल आधार कार्ड की प्रति मैंने अपने हस्ताक्षर से बयान देने के पहले न्यायालय में दाखिल किया था। इसमें मेरा नाम, पता व जन्मतिथि वगैरह जो लिखा है, वह सही है। इसमें मेरी जो जन्मतिथि दिनांक 09.08.2004 लिखा है, वह सही है। मैं दो बहन दो भाई हूं। मैं सबसे बड़ी हूं...मुझे किसी भी भाई-बहन की जन्मतिथि नहीं मालूम है और न ही मैं उनकी उम्र बता सकती हूँ। मैं अंदाजन भी अपने भाई-बहनों की उम्र नहीं बता सकती हूँ।"

60. साक्षी पीड़िता के पिता (पी०डब्लू०-2) ने मुख्य परीक्षा में अपनी पुत्री/पीड़िता की उम्र 17 वर्ष होना बताया है। बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई जिरह में साक्षी ने कंडिका-4 में यह स्वीकार किया है कि उसके दो लड़के व दो लड़कियां हैं, वह अपने किसी भी बच्चे की उम्र नहीं बता सकता है और अंदाजन भी नहीं बता सकता है। उसने पीड़िता का स्कूल में नाम कब लिखाया और किसने लिखाया, वह यह भी नहीं बता सकता है। कंडिका-5 में यह स्वीकार किया है कि उसके बच्चे कितने पढ़े हैं, वह नहीं जानता है। उसके बच्चे किस स्कूल में पढे हैं, वह भी नहीं जानता है। पीड़िता किस स्कूल में पढ़ी है और कहां तक पढ़ी है, वह नहीं बता सकता है।

61. उपरोक्त के अलावा उम्र के सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण साक्षी सहायक अध्यापक बिट्टो रानी (पी०डब्लू०-3) को परीक्षित कराया गया है, जिसने मुख्य परीक्षा में प्रमुख रूप से यह कथन किया है कि उसने विवेचक को पीड़िता/छात्रा के शैक्षिक प्रमाण पत्र के बारे में लिखकर दिया था। पीड़िता का नाम उसके विद्यालय में प्रवेशांक सं०-1140 पर पीड़िता का नाम, उसके माता-पिता का नाम व पता अंकित है। अभिलेख के अनुसार पीड़िता की जन्मतिथि 12.07.2007 है। साक्षी सहायक अध्यापक बिट्टो रानी (पी०डब्लू०-3) के साक्ष्य के अनुसार एस०आर० रजिस्टर (प्रदर्श क-4) में भी पीड़िता की जन्मतिथि दिनांक 12.07.2007 अंकित है।

(Rahul Singh-II)
Spl. Judge (POCSO Act)
Balrampur (U.P.)
J.O.Code-UP1851

62. साक्षी सहायक अध्यापक बिट्टो रानी (पी०डब्लू०-3) से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह के प्रस्तर-4 व 5 में यह स्वीकार कराया गया है कि "कथित पीड़िता ने हमारे विद्यालय में कक्षा-02 में प्रवेश किया। मेरे विद्यालय के रिकार्ड में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि कक्षा-01 कहां से पास किया था और उसका टी०सी० दिया था कि नहीं। मुझे यह भी नहीं पता है कि पीड़िता का कक्षा-01 में जन्मतिथि क्या है। जिस समय पीड़िता मेरे विद्यालय में प्रवेश लिया था उस समय मैं विद्यालय में कार्यरत नहीं थी। पीड़िता का कोई टी०सी० जारी नहीं किया गया है। पीड़िता ने मेरे विद्यालय से कोई टी०सी० नहीं लिया था और उसका नाम खारिज कर दिया था। प्रवेश रजिस्टर जो मैं साथ लायी हूँ, उसके क्रमांक 1142, 1143 व 1146 में ओवरराइटिंग है। पीड़िता का नामांकन 1140 क्रमांक पर है। जो रजिस्टर मैं लायी हूँ, उस पर किसी भी अध्यापक या अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है न ही पीड़िता के मां-बाप का हस्ताक्षर है और न ही पीड़िता का हस्ताक्षर है। पीड़िता का जन्मतिथि किस आधार पर मेरे विद्यालय में लिखा गया उसका जानकारी मुझे नहीं है। यह कहना गलत है कि मुकदमे को तूल देने के लिए मेरे द्वारा गलत प्रमाणपत्र व गलत बयान दिया गया है।"

63. इसके अलावा उम्र के सम्बन्ध में चिकित्सक साक्षी डॉ० नरेन्द्र कुमार बाजपेयी को पी०डब्लू०-4 के रूप में परीक्षित कराया गया है, जिसने प्रमुख रूप से यह कथन किया है कि पीड़िता की रेडियोलाजिकल ऐज 14 से 16 वर्ष थी। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट (प्रदर्श क-5) के अनुसार मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा गठित टीम द्वारा पीड़िता की उम्र 15 वर्ष निर्धारित की गई है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी डॉ० नरेन्द्र कुमार बाजपेयी (पी०डब्लू०-4) से जिरह के पैरा-3 व 4 में यह स्वीकार कराया गया है कि "पीड़िता का एक्स-रे रिपोर्ट के हिसाब से एल्बो पूरी तरह से फ्यूज हो चुका था। पीड़िता की उम्र रेडियोलाजिस्ट के अनुसार 14 से 16 वर्ष थी। फीजियोलाजिकल के द्वारा पीडिता की उम्र 16 से 17 वर्ष बताई गयी थी। जो उम्र रेडियोलाजिस्ट द्वारा बताई गयी है, उसमें दो वर्ष का अन्तर हो सकता है। दात के सम्बन्ध में जो उम्र निकाली जाती है, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। यह भी नहीं बता सकता हूँ कि उम्र कितनी सही होती है, कितनी ज्यादा या कम होती है। डी०एन०ए० से सही उम्र निकाला जा सकता है, जो इन सब परीक्षण से ज्यादा

(Rahul Singh-II)
Spl. Judge (POCSO Act)
Balrampur (U.P.)
J.O.Code-UP1851

निश्चित होती है। यह कहना गलत है कि पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से ऊपर थी, लेकिन हम लोगों ने उम्र का गलत निर्धारण करके 14 से 16 वर्ष कर दिया।"

64. साक्षी डा० महीकीर्ति सिसोदिया (पी०डब्लू०-5) ने मुख्य परीक्षा के दौरान पीड़िता की उम्र लगभग 15 वर्ष बताई है तथा जिरह में यह स्वीकार किया है कि उसने आयु निर्धारण के बारे में कोई मेडिकल परीक्षण नहीं किया है।

65. उपरोक्तानुसार देखा जाए तो हस्तगत प्रकरण की पीड़िता पढ़ी-लिखी है तथा उसके शैक्षणिक अभिलेख पत्रावली पर उपलब्ध है, जिन्हें साक्षी बिट्टो रानी (पी०डब्लू०-3) द्वारा साबित किया गया है। पीड़िता के शैक्षिक दस्तावेजों में उसकी जन्मतिथि दिनांक 12.07.2007 अंकित है, जिसके आधार पर देखा जाए तो पीड़िता घटना दिनांक 17.06.2018 को 10 वर्ष 11 माह 05 दिन होना प्रतीत हो रही है, परन्तु बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह के दौरान इस साक्षा से यह स्वीकारोक्ति कराई गई है कि कथित पीड़िता उसके विद्यालय में कक्षा-2 में प्रवेश किया। उसके विद्यालय के रिकार्ड में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि पीड़िता ने कक्षा-1 कहां से पास किया था और उसका टी०सी० दिया था या नहीं। उसे नहीं पता है कि कक्षा-1 में जन्मतिथि क्या है। प्रवेश रजिस्टर जो वह साथ लाई है, उसके क्रमांक-1142, 1143 व 1146 में ओवरराइटिंग है।

66. **<u>इस तरह देखा जाए तो पीडिता के उक्त शैक्षणिक अभिलेख विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि साक्षी पीडिता के पिता (पी०डब्लू०-2) द्वारा स्पष्ट रूप से यह साक्ष्य दिया गया है कि उसे अपने किसी बच्चे की उम्र नहीं पता है और उसे यह भी नहीं पता है कि उसने पीड़िता का स्कूल में नाम कब लिखाया और किसने लिखाया था।</u>** इसके अलावा साक्षी पीडिता ने जिरह के पैरा-17 में यह बताया है कि उसने न्यायालय में अपने आधार कार्ड की प्रति दाखिल की है, इसमें उसका नाम, पता व जन्मतिथि वगैरह जो लिखा है, वह सही है। इसमें उसकी जो जन्मतिथि 09.08.2004 लिखा है, वह सही है।

67. **<u>यदि पीड़िता के आधार कार्ड में अंकित जन्मतिथि दिनांक 09.08.2004 को सत्य मान भी लिया जाए तो भी पीडिता की उम्र घटना दिनांक</u>**

(Rahul Singh-II)
Spl. Judge (POCSO Act)
Balrampur (U.P.)
J.O.Code-UP1851

16.07.2018 को 13 वर्ष 11 माह 07 दिन होना प्रकट हो रहा है। इसके अलावा पीड़िता की ओसीफिकेशन टेस्ट रिपोर्ट भी पत्रावली पर प्रदर्श क-5 के रूप में उपलब्ध है, जिसमें मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा गठित पैनल द्वारा पीड़िता की औसत आयु 15 वर्ष निर्धारित किया गया है। मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई आयु सामान्यतः अनुमान पर आधारित होती है, जिसमें दो वर्ष का विचलन सम्भाव्य होता है। यदि मेडिकल बोर्ड द्वारा पीड़िता की निर्धारित की गई आयु 15 वर्ष में दो वर्ष का विचलन का सिद्धान्त लागू किया जाए तो भी पीड़िता की घटना के समय आयु 17 वर्ष होना प्रकट हो रहा है। चूंकि अभियोजन की ओर से पीड़िता के शैक्षणिक अभिलेखों में अंकित जन्मतिथि की सत्यता का प्रमाणन पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक तथा अभिलेखगत साक्ष्य के माध्यम से नहीं किया जा सका है, ऐसी स्थिति में न्यायालय पीड़िता के शैक्षिक अभिलेखों पर विश्वास व्यक्त नहीं करती है, परन्तु न्यायालय पीड़िता की आयु निर्धारण बावत मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट (प्रदर्श क-5), जिसमें पीड़िता की आयु 15 वर्ष निर्धारित की गई है, पर अपना विश्वास प्रकट करती है, क्योंकि उक्त दस्तावेज को चिकित्सक साक्षी डॉ० नरेन्द्र कुमार बाजपेयी (पी०डब्लू०-4) द्वारा विधिवत साबित किया गया है। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि घटना दिनांक को पीड़िता 18 वर्ष से कम आयु की एक अवयस्क बालिका थी, ऐसी स्थिति में अधिनियम के अध्याय-1 में वर्णित धारा-2 में उल्लिखित परिभाषा की कंडिका (घ) में परिभाषित "बालक" की श्रेणी में पीड़िता आती है। अतः पाक्सो अधिनियम के प्रावधान हस्तगत प्रकरण में लागू होते हैं।

प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलम्ब का प्रभाव

68. अभियुक्त पक्ष द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण में हुए विलम्ब के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट को संदेहास्पद बताया गया है। इस सम्बन्ध में पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि घटना दिनांक 17.06.2018 के समय 05.00 बजे शाम की होने का कथन किया गया है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 18.06.2018 को 19.40 बजे दर्ज कराये जाने का उल्लेख है जिस कारण से प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग 01 दिन बाद पंजीकृत हुई थी।

(Rahul Singh-II)
Spl. Judge (POCSO Act)
Balrampur (U.P.)
J.O.Code-UP1851

69. जबकि अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वादी मुकदमा अपनी पुत्री/पीड़िता को खोजबीन करने में लगा हुआ था तथा वादी मुकदमा को पीड़िता घटना के अगले दिन दिनांक 18.06.2018 को पचपेड़वा रेलवे स्टेशन पर मिली थी, जिसके उपरान्त वादी मुकदमा द्वारा उक्त घटना की सूचना दिनांक 18.06.2018 को 19.40 बजे थाना पचपेड़वा में कराई गई थी, जिसमें वादी मुकदमा द्वारा कोई देरी जान-बूझकर नहीं की गई है, क्योंकि वह अपनी पुत्री/पीड़िता को ढूंढने में व्यस्त था।

70. ग्रामीण पृष्ठभूमि के परिवार से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वे तत्काल आधुनिक प्रक्रिया से भली-भांति परिचित हों तथा प्राथमिकी तुरन्त दर्ज कराने की जानकारी उन्हें हो।

71. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था **रामदास व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (2007) 2 एस०सी०सी० 170** में यह प्रतिपादित किया गया है कि "एफ०आई०आर० दर्ज करने में देरी को अभियोजन साक्ष्य की प्रमाणिकता पर संदेह करने का एक यांत्रिक अथवा औपचारिक सूत्र (Ritualistic Formula) के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। **राज्य हिमाचल प्रदेश बनाम ज्ञान चंद, (2001) 6 SCC 71** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी को अभियोजन साक्ष्य की प्रामाणिकता पर संदेह करने का एक यांत्रिक सूत्र नहीं बनाया जा सकता। जब देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाता है, तो न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह यह विश्लेषण करे कि वह स्पष्टीकरण संतोषजनक है या नहीं।

72. वर्तमान प्रकरण में वादी मुकदमा अपनी पुत्री को ढूंढने में व्यस्त होने के कारण तथा घटना के अगले दिन वादी मुकदमा को उसकी पुत्री/पीड़िता मिल जाने के उपरान्त वादी मुकदमा द्वारा घटना की जानकारी के उपरान्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसमें वादी मुकदमा द्वारा जान—बूझकर कोई विलम्ब कारित नहीं किया गया।

(Rahul Singh-II)
Spl. Judge (POCSO Act)
Balrampur (U.P.)
J.O.Code-UP1851

अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य की विश्वसनीयता तथा अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप साबित होना या न होना

73. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पीड़िता द्वारा किया गया अभियोजन कथानक जो प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित है, उसका समर्थन पीड़िता द्वारा किये गये अपने बयान अन्तर्गत धारा-164 दं०प्र०सं० व न्यायालय के समक्ष किये गये बयानों से नहीं होता है, जिस कारण से मामला संदेहास्पद है, जिसका लाभ अभियुक्तगण को मिलना चाहिए।

74. पीड़िता स्वयं साक्षी पी०डब्लू०-1 के रूप में परीक्षित हुई है और उससे विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गई है। पीड़िता द्वारा अपनी साक्ष्य में यह स्पष्ट रूप से यह कथन किया गया है कि वह अभियुक्तगण संजय, भारत, शमीम व मुमताज को जानती-पहचानती है।.....उसके पिता ने उसे डांटा था, जिससे वह गुस्सा होकर अपने घर से बाहर पचपेड़वा स्टेशन चली गई थी, जहां उसे अभियुक्त शमीम मिला था। अभियुक्त शमीम उसे पचपेड़वा रेलवे स्टेशन के बगल सागौन के जंगल के पेड़ के नीचे ले गया और उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। उसका कपड़ा उतारकर व अभियुक्त अपना कपड़ा उतारकर अपना पेशाब की नली उसके पेशाब के रास्ते में डालकर जबरदस्ती बलात्कार किया। अभियुक्त शमीम द्वारा उसका हाथ व मुंह दोनों दुपट्टे से बांध दिया गया था, जिससे वह चिल्ला नहीं सकी। बलात्कार करने के बाद अभियुक्त शमीम उसे वहीं छोड़कर भाग गया था। उसके पिता उसे ढूंढते हुए पचपेड़वा स्टेशन आये तो वह रेलवे स्टेशन के पास बैठी मिली।

75. पुलिस ने मजिस्ट्रेट न्यायालय में उसका कथन कराया था। पीड़िता/उसके कथन अन्तर्गत धारा-164 दं०प्र०सं० दिखाने पर उसने यह कथन किया कि उसने मजिस्ट्रेट न्यायालय में दिनांक 28.07.2018 को यह कथन किया था कि स्टेशन पर उसे प्यास लगी तो वह पानी पीने गई तो पीछे से चाय वाला शमीम आ गया और उसने उसका मुंह कपड़े से बंद कर दिया और स्टेशन के बगल सागौन के पेड़ के पास ले गया और वहां उसने उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता द्वारा यह कथन भी किया गया कि उसके द्वारा मजिस्ट्रेट न्यायालय

में संजय, भारत और शब्बीर द्वारा बलात्कार किया जाना इसलिए नहीं बताया था, क्योंकि उसे उनके नाम रेलवे स्टेशन के पास रहने वाले व्यक्तियों ने बताया था। तीनों लोगों का नाम उसने गलती से लिखा दिया था। संजय, भारत और शब्बीर द्वारा उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया गया था।

76. पीड़िता द्वारा अपनी जिरह में यह कथन किया गया है कि संजय, भारत व मुमताज ने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया था। उसने इनका नाम कहीं पर भी नहीं बताया था।, क्योंकि उन लोगों ने कुछ भी उसके साथ नहीं किया था।

77. पीड़िता द्वारा अपनी जिरह में यह भी कथन किया गया है कि उसने अपने पिता को यह बात नहीं बताई थी कि दिनांक 17.06.2018 की रात जब वह स्टेशन के बाहर निकली तो चार लड़कों ने उसके साथ बाग में ले जाकर गलत काम किया। उसने अपने पिता को यह बताया था कि स्टेशन के बाहर के लोगों ने संजय, भारत, शमीम और मुमताज का नाम बताया था। वह उन चारों को नहीं पहचानती है। साक्षी ने स्वयं कहा कि एक को पहचानती हूं।

78. इसी साक्षी को उसका धारा-161 दं०प्र०सं० का मजीद बयान दिनांकित 09.09.2018 पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि उसे याद नहीं है। इस साक्षी ने मजीद बयान कि "जब कोर्ट में बयान देने गई थी तो वहां जगदीश नाम का व्यक्ति मिला था, मेरे पिताजी के सामने पानी-बिस्कुट लाया, मुझे भी दिया तो उसने बताया कि पूछने पर केवल शमीम का ही नाम बताना, ज्यादा लोगों का नाम बताओगी तो मुकदमा खराब हो जाएगा।", यह बात सही है।

79. पीड़िता द्वारा आगे अपनी जिरह में यह कथन किया गया है कि उसके पिताजी ने थाने पर जो दरख्वास्त दी थी, वह पुलिस ने नहीं लिखी थी, किसी दूसरे ने लिखी थी, जिसको वह जानती-पहचानती नहीं है। तहरीर गवाह को पढ़कर सुनाया गया कि तीनों लड़के व इनके साथ एक और लड़का और सभी ने मिलकर उसके साथ स्टेशन के पास स्थित बाग में ले जाकर गलत काम किया।

उसने आस-पास के लोगों से तीनों लड़कों के बारे में पूछा तो इनका नाम..........शमीम पुत्र शब्बीर निवासी नई बाजार, पचपेड़वा मालूम हुआ। पीड़िता साक्षी ने बताया कि यह गलत लिखा हुआ है।

80. साक्षी पी०डब्लू०-2 पीड़िता के पिता वादी मुकदमा द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि वह अभियुक्तगण संजय, भारत, मुमताज व शमीम में से शमीम को जानता-पहचानता है।.......घटना दिनांक 17.06.2018 समय शाम 05.00 बजे की है। उसकी लड़की/पीडिता जिसकी उम्र 17 वर्ष थी, किसी बात से नाराज होकर कहीं चली गई थी। उसने काफी खोजबीन किया तो दिनांक 18.06.2018 को वह पचपेड़वा रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो वहां पर उसकी लड़की बैठी मिली।

81. उसकी लड़की/पीडिता ने रोते हुए उसे बताया था कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। उसने पूछा कि किसने किया है तो उसने शमीम का नाम बताया। फिर वह अपनी लड़की को लेकर रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहा था तो चाय की दुकान पर बैठे आदमियों में से देखकर बताया कि शमीम ने उसके साथ बलात्कार किया है। दुकान पर बैठे अन्य अभियुक्तगण का नाम वहीं के लोगों ने बताया था। उनके बताने के अनुसार लिखा दिया था।

82. इस साक्षी ने अपने जिरह में यह कथन किया है कि उसकी पुत्री/पीड़िता ने उसे संजय, भारत व मुमताज के द्वारा कोई घटना कारित करने की बात नहीं बताई थी। किसके कहने पर उने संजय, भारत व मुमताज को नामित कर दिया था, उसे याद नहीं है।

83. इस साक्षी ने आगे अपनी जिरह में यह कथन किया है कि उसे यह नहीं पता है कि मुकदमा उसने किन-किन लोगों के खिलाफ पीड़िता के बताने के अनुसार बलात्कार के बारे में लिखाया था। उसने दरोगाजी को कोई बयान नहीं दिया था। जो बयान दिया है, वह न्यायालय पर ही दिया है।......सूचना मिलने पर वह सीधे घटना वाले दिन सुबह 09.00-10.00 बजे थाने पर गया था। वह

(Rahul Singh-II)
Spl. Judge (POCSO Act)
Balrampur (U.P.)
J.O.Code-UP1851

थाने पर अपनी लड़की/पीड़िता के बारे में किसी भी घटना के बारे में सूचना नहीं दिया था।

84. पीड़िता उसे घटना वाले दिन थाना पचपेड़वा पर मिली थी। उसकी लड़की ने उसे घटना के बारे में कुछ नहीं बताया था। उसकी लड़की/पीड़िता ने उसे एक लोग के बारे में बताया था। मुकदमा उसने एक आदमी के खिलाफ लिखाया था। लड़की/पीड़िता ने घटना के बाद घर आई तब उसने एक आदमी के बारे में बताया था, जिसको वह जानती-पहचानती नहीं थी।

85. अभियोजन द्वारा किसी अन्य स्वतंत्र साक्षी को न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं कराया गया है।

86. पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी मुकदमा द्वारा दिनांक 18.06.2018 को 19.40 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज कराई थी कि उसकी लड़की/पीड़िता किसी बात से नाराज होकर घर से कहीं चली गई थी। काफी खोजबीन के बाद दिनांक 18.06.2018 को पचपेड़वा रेलवे स्टेशन पर बैठी मिली और आप-बीती बताई, जब वह अपनी लड़की को लेकर स्टेशन से बाहर निकला, तो चाय की दुकान पर बैठे तीन लड़कों की तरफ इशारा करके उसकी लड़की ने बताया कि कल दिनांक 17.06.2018 की रात्रि में यह तीन लड़के व इनके साथ एक लड़का और सभी ने मिलकर उसके साथ स्टेशन के पीस स्थित बाग में ले जाकर गलत काम किया। उसने आस-पास के लोगों से उन तीनों लड़कों के बारे में पूछा तो उनका नाम 1. संजय पुत्र सरजू प्रसाद, 2. भारत पुत्र राम विलास व 3. शमीम पुत्र शब्बीर मालूम हुआ और चौथे लड़के के बारे में पूछा गया तो 4. मुमताज पुत्र अज्ञात मालूम हुआ, जिसकी सूचना उसने थाने पर दी थी।

87. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा-161 दं०प्र०सं० व धारा-164 दं०प्र०सं० में आपस में विरोधाभाष है, जिसका लाभ अभियुक्तगण को मिलना चाहिए।

(Rahul Singh-II)
Spl. Judge (POCSO Act)
Balrampur (U.P.)
J.O.Code-UP1851

88. पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा-161 दं०प्र०सं० दिनांकित 19.06.2018 कागज सं०-4क/12 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पीड़िता द्वारा अपने उक्त बयान में उसे चार लोगों द्वारा जंगल में उठाकर ले जाने के बाद उसके साथ गलत काम किये जाने का कथन किया गया है।

89. जबकि पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा-164 दं०प्र०सं० दिनांकित 28.07.2018 कागज सं०-14क/1 ता 14क/2 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पीड़िता द्वारा अपने इस बयान में प्रथम सूचना रिपोर्ट व बयान अन्तर्गत धारा-161 दं०प्र०सं० में किये गये कथनों के विपरीत यह कथन किया गया है कि "मैं गांव के कुछ लोगों के साथ देवीपाटन से ट्रेन से लौट रही थी। बाकी सब लोग उतर गये और मैं सोई थी तो ट्रेन पचपेड़वा पहुंच गई.....तब मैं परेशान हो गई और गैसड़ी का टिकट करवाया। स्टेशन पर मुझे प्यास लगी और मैं पानी पीने गई तो पीछे से चाय वाला शमीम आ गया और मेरा मुंह कपड़े से बंद कर दिया और स्टेशन के बगल में लगे सागौन के पेड़ के पास ले गया और वहां मेरे साथ बलात्कार किया। मुझे स्टेशन से ले जाते हुए किसी ने नहीं देखा।.....समय करीब रात का 12.00 बजा था। शमीम के अलावा और किसी ने मेरे साथ कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता कि संजय, भारत और मुमताज का नाम पुलिस ने कैसे लिख लिया। उसके बाद मैं बाहर आई, तो वहां पर दो पुलिस वाले बैठे थे तो उन्होंने मुझे बुलाया और पूछा कि इतनी रात को कहां से आ रही हो। मैंने सारी बात पुलिस वालों को बताई तो वह शमीम अपनी दुकान बंद कर रहा था। मेरे बताने पर पुलिस हम दोनों को थाने ले गई, तब पुलिस वालों ने मेरे पिता को फोन करके बुलाया और मेरे पिताजी और फूफा दोनों थाने पर पहुंच गये और वहां पर मैं फूफा के साथ चली गई।......घटना के दो-तीन दिन बाद मेरा मेडिकल हुआ था।"

90. साक्षी पी०डब्लू०-6 विवेचक अभिषेक कुमार सिरोही ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि "यह कहना गलत है कि मैंने प्रमोद गिरी का कोई भी 161 दं०प्र०सं० का बयान नहीं लिया, बल्कि अपने मन से उसका धारा-161 दं०प्र०सं० का बयान लिख लिया।......पीड़िता द्वारा अपने बयानों में अभियुक्तगणों के नाम का जिक्र नहीं किया था। मेरे द्वारा चाय की दुकान वालों

(Rahul Singh-II)
Spl. Judge (POCSO Act)
Balrampur (U.P.)
J.O.Code-UP1851

का बयान नहीं लिया गया था। घटनास्थल के आस-पास या स्टेशन के किसी अधिकारी या कर्मचारी का बयान नहीं लिया था। रेलवे स्टेशन पर सिविल पुलिस की ड्यूटी लगातार नहीं लगाई जाती है, कभी-कभी जी०आर०पी० पुलिस रहती है। रेलवे स्टेशन पचपेड़वा पर मेरे द्वारा पता नहीं किया गया के घटना वाले दिन कोई जी०आर०पी का पुलिस या सिविल पुलिस, आर०पी०एफ० का कोई सिपाही/ अधिकारी था कि नहीं। मैं विवेचक पीड़िता के गांव नहीं गया था। मुझे जानकारी नहीं है कि पीड़िता का गांव कितनी दूरी पर है।......मैंने पीड़िता तथा कथित अभियुक्तों के मोबाइल का लोकेशन नहीं निकलवाया था।.....यह कहना गलत है कि अभियुक्तों के विरूद्ध कोई साक्ष्य न होने के बावजूद मैंने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।"

91. साक्षी पी०डब्लू०-7 विवेचक अवधेश राय द्वारा अपनी जिरह में यह कथन किया गया है कि" विवेचना के दौरान मैंने पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा-164 दं०प्र०सं० का अवलोकन किया था। उक्त बयान में पीड़िता ने संजय, भारत, मुमताज के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई कथन नहीं किया था। यह कहना गलत है कि मैंने गलत विवेचना करके अभियुक्तगण संजय, भारत व मुमताज को बतौर फर्जी अभियुक्त माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया हो। यह कहना गलत है।........यह कहना सही है कि पीड़िता ने अपने धारा-161 दं०प्र०सं० के बयान में शमीम पुत्र शब्बीर को नामित नहीं किया था, अन्य किसी को भी नामित नहीं किया था। पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा-161 दं०प्र०सं० से भिन्न बयान अन्तर्गत धारा-164 दं०प्र०सं० में दिया था।......बयान धारा-164 दं०प्र०सं० में जिन पुलिस वालों के बारे में बताया था और पुलिस द्वारा थाने पर ले जाना बताया था, उन पुलिस वालों का हमने बयान नहीं लिया था, क्योंकि उन पुलिस वालों का ट्रेस नहीं हुआ था। उपरोक्त पुलिस वालों को खोजने अथवा उनको पता करने के सम्बन्ध में कोई पर्चा किता नहीं किया और किसी पर्चे में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया।....मैने इस मुकदमा की कायमी जी०डी० का भी अपने विवेचना में अवलोकन किया था, जिसमें पीड़िता ने धारा-164 दं०प्र०सं० के बयान में पुलिस वालों व शमीम के साथ थाने पर जाना बताया था, उनके अनुमति का कोई उल्लेख नहीं है।.....पीडिता के धारा-161, 164 दं०प्र०सं० के बयान की भिन्नता के बारे में बयान लेना.....पीड़िता का मजीद बयान पीड़िता के परिवारीजन व महिला

(Rahul Singh-II)
Spl. Judge (POCSO Act)
Balrampur (U.P.)
J.O.Code-UP1851

कान्स्टेबल सारिका शर्मा व निशा चौधरी के समक्ष लिया कि "जब मैं कोर्ट में बयान देने गई थी तो वहीं पर जगदीश नाम का एक व्यक्ति मिला जो मेरे पिताजी के सामने पानी बिस्कुट लाया, मुझे भी दिया। उसने बताया कि पूछने पर केवल शमीम का ही नाम बताना, ज्यादा लोग का नाम बताओगी तो मुकदमा खराब हो जाएगा। अतः मैंने केवल शमीम का ही नाम बयान में बता दिया था।", यह बयान आने के बाद मैंने जगदीश नाम के व्यक्ति का जो नाम आया था, उस जगदीश की न तो मैने कोई तलाश की और न ही उसका कोई बयान लिया कि क्यों विवेचना में उसके द्वारा हस्तक्षेप किया और न ही मैंने उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की और न ही पर्चे में उसका कोई उल्लेख किया।"

92. उपरोक्त साक्षियों के बयानों, प्रथम सूचना रिपोर्ट, धारा-161 दं०प्र०सं० व धारा-164 दं०प्र०सं० के बयानों व अन्य प्रपत्रों के विश्लेषण से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि पीड़िता द्वारा केवल अभियुक्त शमीम के विरूद्ध पीड़िता से जबरन बलात्कार करने का आक्षेप लगाया गया है। अन्य अभियुक्तगण संजय, भारत व मुमताज के सम्बन्ध में पीड़िता द्वारा न तो उसके बयान अन्तर्गत धारा-161 दं०प्र०सं० में कोई कथन किया गया है। पीड़िता द्वारा अपने धारा-161 दं०प्र०सं० के बयान में केवल चार लोगों द्वारा उसके साथ गलत काम किये जाने का उल्लेख किया गया है, परन्तु किसी भी अभियुक्त का नाम पीड़िता द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा-161 दं०प्र०सं० में नहीं लिया गया है, जिसकी पुष्टि पीड़िता द्वारा एवं विवेचकों द्वारा अपने साक्ष्य में की गई है तथा पीड़िता द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा-164 दं०प्र०सं० में अपने धारा-161 दं०प्र०सं० के तहत दिये गये बयान से भिन्न कथन करते हुए केवल अभियुक्त शमीम द्वारा पीड़िता के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने का बयान दिया गया है तथा अन्य अभियुक्तगण संजय, भारत व मुमताज के द्वारा पीड़िता के साथ कोई भी घटना कारित नहीं करने का बयान दिया गया है। पीड़िता द्वारा अपने धारा-164 दं०प्र०सं० के बयान में यह भी कथन किया गया है कि उसने अभियुक्तगण संजय, भारत व मुमताज का नाम किसी को नहीं बताया था, उक्त लोगों का नाम पुलिस ने कैसे लिख लिया, उसे जानकारी नहीं है।

93. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि पीड़िता की शरीर पर कोई चोट नहीं पाई गयी और उसके प्राईवेट पार्ट

(Rahul Singh-II)
Spl. Judge (POCSO Act)
Balrampur (U.P.)
J.O.Code-UP1851

पर शुक्राणु भी नहीं पाये गये, जिससे उसके साथ बलात्कार करने का तथ्य सिद्ध नहीं होता है।

94. पत्रावली पर उपलब्ध चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट में पीड़िता के शरीर पर ताजा चोटों का न पाया जाना अभियोजन के लिए प्रतिकूल नहीं है। पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 20.06.2018 को किया गया है, जबकि पीड़िता के साथ बलात्कार की घटना दिनांक 17.06.2018 की रात होना कहा गया है। पीड़िता के नहाकर व कपड़े बदलकर आने की बात स्वयं चिकित्सक ने कही है। यह स्थापित विधिक सिद्धांत है कि विलंब से किए गए चिकित्सीय परीक्षण में चोटों या शुक्राणुओं का न मिलना यौन उत्पीड़न की घटना को नकारने का आधार नहीं बनता। न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय **दस्तगीर साहब बनाम कर्नाटक राज्य, ए०आई०आर० 2004 एस०सी० 2884** में यह मत व्यक्त किया गया है कि बलात्कार के आरोप को साबित किये जाने के लिये पीड़िता के शरीर पर चोटें आना तथा उसको साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। यदि पीड़िता का परीक्षण 24 घंटे के बाद होता है, उस स्थिति में खरोंच या हिंसा के निशान का समाप्त हो जाना या न पाया जाना स्वाभाविक है। कई दिन बाद परीक्षण होने पर यह भी संभव है कि शुक्राणु न भी पाये जायें। इसलिए मेडिकल परीक्षण में इसके सम्बन्ध में कोई साक्ष्य न पाये जाने मात्र के आधार पर घटना को असत्य नहीं माना जा सकता है।

95. इसके अलावा पीड़िता द्वारा न्यायालय के समक्ष बतौर साक्षी पी०डब्लू०-1 के रूप में अपनी मुख्य परीक्षा व जिरह में यह बयान दिया गया है कि केवल अभियुक्त शमीम द्वारा पीड़िता के साथ गलत काम (बलात्कार) किये जाने की पुष्टि की है तथा अभियुक्तगण संजय, भारत व मुमताज द्वारा पीड़िता के साथ कोई भी गलत काम नहीं किया गया था तथा पीड़िता द्वारा उक्त अभियुक्तगण संजय, भारत व मुमताज का नाम कहीं पर भी नहीं बताया गया है, क्योंकि उक्त अभियुक्तगण द्वारा पीड़िता के साथ कुछ भी नहीं किया गया है। पीड़िता द्वारा अपने धारा-164 दं०प्र०सं० के बयान की पुष्टि न्यायालय के समक्ष दिये गये बयानों से होती है।

(Rahul Singh-II)
Spl. Judge (POCSO Act)
Balrampur (U.P.)
J.O.Code-UP1851

96. इसके अलावा पीड़िता के पिता साक्षी पी०डब्लू०-2 द्वारा भी अपनी मुख्य परीक्षा व जिरह में यह कथन किया गया है कि जब पीड़िता उसे मिली थी, तो उसने अभियुक्त शमीम का नाम बताया था तथा यह भी बताया था कि अभियुक्त शमीम द्वारा ही पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया था।

97. इस साक्षी पी०डब्लू०-2 द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में दिये गये तथ्यों के विपरीत अपनी जिरह में यह कथन किया गया है कि पीड़िता उसे घटना वाले दिन थाना पचपेड़वा में मिली थी तथा उसकी पुत्री/पीड़िता ने एक लोग के बारे में बताया था तथा वादी मुकदमा एक आदमी के खिलाफ लिखाया था। इस साक्षी द्वारा अपनी साक्ष्य में यह भी कथन किया गया है कि चाय की दुकान पर बैठे अन्य अभियुक्तगण के नाम वहीं के लोगों ने बताया था और उनके बताने के अनुसार ही वादी मुकदमा द्वारा अन्य अभियुक्तगण के नाम लिखा दिया था।

98. पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रकरण के विवेचकगण द्वारा मामले की सही विवेचना किये बिना ही तथा पीड़िता व अभियुक्त शमीम को दो पुलिसकर्मियों द्वारा थाना पचपेड़वा पर दाखिल करने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख केसडायरी में नहीं किया गया है, न ही उक्त के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित किया गया है। अभियुक्तगण संजय, भारत व मुमताज के घटनास्थल के मौजूद होने के सम्बन्ध में भी कोई साक्ष्य संकलित नहीं किया गया है और न ही घटनास्थल के आस-पास किसी पुलिसकर्मी, रेलवे कर्मचारी अथवा अधिकारी अथवा अन्य किसी व्यक्ति से कोई साक्ष्य संकलन नहीं किया गया और न ही पीड़िता अथवा अभियुक्तगण का सी०डी०आर० ही निकलवाया गया, जिसे उक्त अभियोग की पुष्टि हो सके।

99. विवेचकों द्वारा वादी मुकदमा अथवा पीड़िता से उनके बयान अन्तर्गत धारा-161 दं०प्र०सं० लिये जाने के सम्बन्ध में भी कोई तस्किरा केसडायरी में नहीं किया गया तथा न्यायालय के समक्ष अपने बयानों में यह भी स्वीकार किया गया है कि विवेचकों द्वारा वादी मुकदमा व पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा-161 दं०प्र०सं० लेने हेतु पीडिता के गांव/घर नहीं जाया गया तथा इस बात का भी

(Rahul Singh-II)
Spl. Judge (POCSO Act)
Balrampur (U.P.)
J.O.Code-UP1851

कोई ठोस साक्ष्य संकलित नहीं किया गया कि घटनास्थल पर उक्त अभियुक्तगण उपस्थित थे अथवा नहीं, ऐसी स्थिति में केवल पीड़िता के बयानों के आधार पर ही एकल साक्षी के रूप में दिये गये साक्ष्य को ही मानते हुए केवल अभियुक्त शमीम जिसके विरूद्ध पीडिता के साथ जबरन बलात्कार किये जाने का साक्ष्य पीडिता द्वारा उसके बयान अन्तर्गत धारा-164 दं०प्र०सं० व न्यायालय के समक्ष दिये गये बयानों के आधार पर जिसमें पीड़िता द्वारा केवल अभियुक्त शमीम द्वारा पीड़िता के साथ जबरन बलात्कार किये जाने की पुष्टि की गई है तथा अन्य अभियुक्तगण संजय, भारत व मुमताज द्वारा अभियोग अन्तर्गत धारा-376डी भा०दं०सं० व धारा-5/6 पाक्सो एक्ट कारित किया जाना साबित नहीं हो सका है। केवल अभियुक्त शमीम द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार किये जाने का अपराध साबित होने के कारण मात्र अभियुक्त शमीम के विरूद्ध धारा-376डी भा०दं०सं० के स्थान पर धारा-376 भा०दं०सं० व धारा-5/6 पाक्सो एक्ट का अभियोग बनता है।

100. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी अपने निर्णय **<u>भारवाड़ा भोगीभाई हीरजीभाई बनाम गुजरात राज्य, ए०आई०आर० 1983 एस०सी० 753 तथा अलामेलू बनाम राज्य, ए०आई०आर० 2011 एस०सी० 715</u>** में यह मत व्यक्त किया गया है कि बलात्कार के मामले में पीड़िता की साक्ष्य की हैसियत अपराध में घायल साक्षी के समान होती है। यदि पीड़िता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो, तो मात्र उसकी एकल साक्ष्य के आधार पर भी दोष सिद्ध किया जा सकता है। **<u>शाम सिंह बनाम हरियाणा राज्य, (2018) 2 एस०सी०सी० 34</u>** में भी यही प्रतिपादित किया गया है कि बलात्कार जैसे अपराध में पीड़िता की एकल साक्ष्य के विश्वसनीय होने पर मात्र उसके आधार पर ही आरोप सिद्ध किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय **<u>फूल सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ए०आई०आर० 2022 एस०सी० 222</u>** में भी इसी सिद्धांत का समर्थन किया गया है।

101. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित पीड़िता व उसके पिता वादी मुकदमा के बयानों के आधार पर अभियोजन अभियुक्तगण संजय, भारत व

(Rahul Singh-II)
Spl. Judge (POCSO Act)
Balrampur (U.P.)
J.O.Code-UP1851

मुमताज के विरूद्ध लगाये गये अभियोग अन्तर्गत धारा-376डी भा०दं०सं० व धारा-5/6 पाक्सो एक्ट को युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है, ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण संजय, भारत व मुमताज को उनके विरूद्ध लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

102. चूंकि पीड़िता द्वारा अपने साक्ष्य में केवल अभियुक्त शमीम के विरूद्ध बलात्कार किये जाने की पुष्टि की गई है, ऐसी स्थिति में अभियुक्त शमीम को धारा-376 भा०दं०सं० व धारा-5/6 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

103. अभियुक्तगण संजय, भारत व मुमताज को धारा-376डी भा०दं०सं० व धारा-5/6 पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

104. अभियुक्त शमीम को धारा-376 भारतीय दण्ड संहिता व धारा-5/6 पाक्सो एक्ट के तहत दोषसिद्ध किया जाता है।

105. अभियुक्तगण संजय, भारत, मुमताज व शमीम आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं। अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं। उनके जमानतनामे व बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

106. अभियुक्त शमीम को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए। अभियुक्त शमीम के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सजा के बिन्दु पर सुनवाई हेतु समय की याचना की गई। अभियुक्त शमीम जिन आरोपों के लिए दोषसिद्ध किया गया है, उसमें गम्भीर सजा का प्रावधान है, इसलिए दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए समय दिया जाना न्यायोचित होगा। पत्रावली दिनांक 10.08.2026 को अपराह्न 01.00 बजे दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पेश हो।

(Rahul Singh-II)
Spl. Judge (POCSO Act)
Balrampur (U.P.)
J.O.Code-UP1851

107. अभियुक्त शमीम को अभिरक्षा में जिला कारागार, बलरामपुर भेजा जाए। दिनांक 10.08.2026 को दण्ड पर सुनवाई हेतु न्यायालय तलब किया जाए।

दिनांक-06.08.2026

(राहुल सिंह-II)
विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट)
बलरामपुर (उ०प्र०)
J.O.Code-UP1851

(Rahul Singh-II)
Spl. Judge (POCSO Act)
Balrampur (U.P.)
J.O.Code-UP1851

Decided on : 10.08.2026

न्यायालय-विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012) जनपद न्यायालय बलरामपुर (उ०प्र०)

(पीठासीन अधिकारी-राहुल सिंह-II (एच०जे०एस०) आई०डी० क्रमांक-यू०पी०-1851)

UPBP010016172018

विशेष सत्र प्रकरण क्र०-54/2018
अपराध क्रमांक-95/2018
धारा-376डी भा०दं०सं० तथा धारा-5/6 पाक्सो एक्ट
संस्थापन दिनांक-15.09.2018
सी.एन.आर.नं०-UPBP010016172018
पुलिस थाना-पचपेड़वा
जनपद-बलरामपुर (उ०प्र०)

उ०प्र० राज्य.......................................अभियोगी

बनाम

संजय आदि.....................................अभियुक्तगण

एवं समेकित

UPBP010019672018

विशेष सत्र प्रकरण क्र०-70/2018
अपराध क्रमांक-95/2018
धारा-376डी भा०दं०सं० तथा धारा-5/6 पाक्सो एक्ट
संस्थापन दिनांक-20.11.2018
सी.एन.आर.नं०-UPBP010016172018
पुलिस थाना-पचपेड़वा
जनपद-बलरामपुर (उ०प्र०)

उ०प्र० राज्य.............................. अभियोगी

बनाम

मुमताज.....................................अभियुक्त

(Rahul Singh-II)
Spl. Judge (POCSO Act)
Balrampur (U.P.)
J.O.Code-UP1851

दिनांक-10.08.2026

01. पत्रावली दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई। दोषसिद्ध अभियुक्त शमीम जेरे हिरासत न्यायालय उपस्थित है। सजा के बिन्दु पर दोषसिद्ध अभियुक्त एवं उसके विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना गया।

02. दोषसिद्ध अभियुक्त शमीम के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है, वह अत्यन्त गरीब है। उसे पूर्व में किसी भी मामले में दोषसिद्ध नहीं किया गया है। उसके कई बच्चे हैं तथा परिवार का भरण-पोषण व देख-रेख करने वाला कोई नहीं है। वह अकेला कमाने-खाने वाला व्यक्ति है, जो मेहनत-मजदूरी करके एवं रिक्शा चलाकर अपने परिवार का लालन-पालन करता है, इस कारण उसकी आर्थिक व पारिवारिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त के साथ उदारता का दृष्टिकोण अपनाते हुए उसे न्यूनतम दण्ड से दण्डित किये जाने का अनुरोध किया है।

03. अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह तर्क दिया गया कि अभियुक्त शमीम द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार जैसा गम्भीर अपराध कारित किया गया है, अभियुक्त उदारता का पात्र नहीं है, अतः उसे अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाये।

04. सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का परिशीलन किया।

05. दोषसिद्ध अभियुक्त शमीम पर साबित किये गये अपराध अन्तर्गत धारा-376 भारतीय दण्ड संहिता के तहत 10 वर्ष के कारावास से लेकर आजीवन कारावास तथा जुर्माने तक की सजा से दण्डनीय है तथा धारा-5/6 पाक्सो एक्ट के तहत सजा का यह प्रावधान है कि जो कोई गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवनकाल के लिए कारावास होगा, तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और

(Rahul Singh-II)
Spl. Judge (POCSO Act)
Balrampur (U.P.)
J.O.Code-UP1851

जुर्माने का भी दायी होगा या मृत्यु से दंडित किया जाएगा। उपरोक्त प्रावधानों के आधार पर अभियुक्त शमीम को परिवीक्षा पर छोड़े जाने का कोई आधार नहीं है।

06. अभियोजन की ओर से दोषसिद्ध अभियुक्त शमीम के आपराधिक इतिहास एवं पूर्व दोषसिद्धि के सम्बन्ध में कोई आख्या प्रस्तुत नहीं की गई है।

07. हस्तगत प्रकरण में दोषसिद्ध अभियुक्त शमीम द्वारा पीड़िता के साथ जबरन बलात्कार करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है, जिससे पीड़िता को शारीरिक एवं मानसिक क्षति कारित हुई है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध एक सामान्य अपराध की श्रेणी में आना वाला अपराध नहीं है, बल्कि कारित अपराध सम्पूर्ण सामाजिक ताने-बाने को विचलित कर देने वाला अपराध है। अतएव अभियुक्त को दिये जाने वाले दंड में नरम रूख अपनाना कतई न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

08. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम बाबूलाल** AIR 2008 (SC) 582 के मामले में निर्णय की कंडिका 21 में यह विधि प्रतिपादित की है कि-

21. In justice-delivery system, sentencing is indeed a difficult and complex question. Every Court must be conscious and mindful of proportion between an offence committed and penalty imposed as also its impact on society in general and the victim of the crime in particular.

09. दोषसिद्ध अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की प्रकृति, उसकी आर्थिक, सामाजिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए व पीड़ित पक्ष की स्थिति को भी दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को समुचित दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायानुमत होता है, हालांकि अभियोजन ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित होता हो कि अभियुक्त का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त है या उसे पूर्व में समरूप अपराध में दण्डित किया गया है या वह आदतन अपराधी है, ऐसी स्थिति में समुचित दण्ड क्या होगा, इस पर विचार किया जाना है।

(Rahul Singh-II)
Spl. Judge (POCSO Act)
Balrampur (U.P.)
J.O.Code-UP1851

10. हस्तगत मामले की घटना दिनांक 17.06.2018 को घटित हुई थी जबकि भारतीय दण्ड संहिता की धारा-376 में दिनांक 21.04.2018 को संशोधन किया गया है। संशोधन के बाद **भारतीय दण्ड संहिता की धारा-376 में सजा का यह प्रावधान है कि जो कोई उपधारा (2) में उपबंधित मामलों के सिवाय, बलात्संग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कठोर कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।**

पाक्सो एक्ट की धारा-5/6 में यह प्रावधान है कि जो कोई गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवनकाल के लिए कारावास होगा, तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा या मृत्यु से दंडित किया जाएगा।

11. दिनांक 16.08.2019 को पाक्सो एक्ट की धारा-6 में संशोधन किया गया है, जबकि हस्तगत प्रकरण की घटना दिनांक 17.06.2018 (संशोधन पूर्व) की है, इसलिए वर्तमान मामले में पाक्सो एक्ट में संसोधन पूर्व के ही प्रावधान लागू होते हैं, जिसमें दण्ड का यह प्रावधान वर्णित है कि-

"6.गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड-जो कोई गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।"

12. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा-42 में यह प्रावधान दिया गया है कि-

[**42. आनुकल्पिक दण्ड.** जहां किसी कार्य या लोप से इस अधिनियम के अधीन और भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 166क, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 370, धारा 370क, धारा 375, धारा 376, 2 [धारा 376 क, धारा 376 कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376 घख)], 3 (धारा 376ङ या धारा 509 के अधीन या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 67ख

(Rahul Singh-II)
Spl. Judge (POCSO Act)
Balrampur (U.P.)
J.O.Code-UP1851

के अधीन] भी दण्डनीय कोई अपराध गठित होता है वहां, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अपराध का दोषी पाया गया अपराधी उस दण्ड का भागी होगा, जो इस अधिनियम के अधीन या भारतीय दण्ड संहिता के अधीन मात्रा में गुरुतर है।

13. पाक्सो अधिनियम की धारा-42 के प्रकाश में देखा जाए तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा-376 एवं पाक्सो अधिनियम की धारा-5/6 के अन्तर्गत समान दण्ड का प्रावधान है, ऐसी दशा में विशेष न्यायालय होने के कारण अभियुक्त शमीम को पाक्सो अधिनियम की धारा-5/6 के आरोप से दंडित किया जाना उचित होगा, फलतः उपरोक्त विधि के प्रकाश में अभियुक्त शमीम के संबंध में यह न्यायालय निम्नांकित दण्डादेश पारित करती हैः-

आदेश

14. विशेष सत्र प्रकरण क्र०-54/2018 अपराध क्र०-95/2018, सम्बन्धित पुलिस थाना-पचपेड़वा जनपद बलरामपुर (उ०प्र०) के प्रकरण में अभियुक्त शमीम पुत्र शब्बीर निवासी नई बाजार स्टेशन रोड पचपेड़वा थाना पचपेड़वा जनपद बलरामपुर (उ०प्र०) को धारा-5/6 पाक्सो एक्ट के आरोप में 10 वर्ष के कठोर कारावास व मु० 10,000/-(दस हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त 06 माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगा।

15. दोषसिद्ध अभियुक्त शमीम का सजायावी वारण्ट बनाकर उसे अविलम्ब जिला कारागार, बलरामपुर (उ०प्र०) भेजा जावे।

16. धारा-428 दं०प्र०सं० के तहत दोषसिद्ध अभियुक्त शमीम द्वारा न्यायिक अभिरक्षा/जिला कारागार में पूर्व में व्यतीत की गई अवधि समायोजित होगी।

17. अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड की राशि जमा किए जाने पर मु० **10,000/-रूपये (दस हजार रूपये)** की राशि पीड़िता (पी०डब्लू०-1) को धारा-357 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अपील अवधि के पश्चात बतौर प्रतिकर प्रदान किया जावे।

(Rahul Singh-II)
Spl. Judge (POCSO Act)
Balrampur (U.P.)
J.O.Code-UP1851

18. पीड़िता के ऊपर पड़े प्रभाव और उसकी सामाजिक स्थिति का आकलन पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर करते हुए **अधिकतम प्रतिकर की धनराशि** अन्तर्गत धारा-357क दं०प्र०सं० में उपबंधित प्रावधानानुसार पीडिता (पी०डब्लू०-1) को प्रदान किये जाने हेतु न्यायालय अर्ह पाती है। अतः जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलरामपुर को उक्त प्रतिकर की धनराशि की सिफारिश करते हुए पीड़िता (पी०डब्लू०-1) को अविलम्ब प्रदान करने हेतु निर्णय की सत्यापित प्रति तत्काल प्रेषित की जावे जो कि उक्त सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करेगी। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलरामपुर से यह भी अपेक्षा की जाती है कि यदि पीड़िता को शासन द्वारा कोई प्रतिकर की धनराशि प्रदान की गई है तो उसका समायोजन प्रतिकर की धनराशि में किये जाने के पश्चात उसे प्रदान करने की कार्यवाही तत्काल करे।

19. दोषसिद्ध अभियुक्त को सूचित करते हुए यह बता दिया गया है कि वह इस न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय एवं पारित दण्डादेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष स्वयं द्वारा या जेल के भारसाधक अधिकारी के माध्यम से अपील प्रस्तुत कर सकता है।

20. दोषसिद्ध अभियुक्त को यह भी सूचित किया गया है कि वह माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में अपील के प्रस्तुतिकरण एवं उसकी सुनवाई में मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकारी है।

21. धारा-437A दं०प्र०सं० के प्रावधान हेतु दोषसिद्ध अभियुक्त शमीम एवं दोषमुक्त अभियुक्तगण संजय, भारत व मुमताज में प्रत्येक की ओर से रूपये 25,000/-25,000/-(पच्चीस-पच्चीस हजार) की दो-दो सक्षम प्रतिभूति एवं उतनी ही राशि का स्वीय बंधपत्र प्रस्तुत किये गये हैं। प्रस्तुत की गई प्रतिभूति एवं स्वीय बंधपत्र 06 माह तक की अवधि के लिये, अपील होने की दशा पर माननीय अपील न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने बावत प्रभावशील रहेंगे।

22. निर्णय की एक प्रति दोषसिद्ध को तत्काल निःशुल्क प्रदान किया जावे।

(Rahul Singh-II)
Spl. Judge (POCSO Act)
Balrampur (U.P.)
J.O.Code-UP1851

23. माननीय उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्गत पत्र संख्या-91/एसएलएसए-166/2019 (आरआई/ए.के.) दिनांकित जनवरी 09, 2020 के अनुक्रम में निर्णय की एक प्रति जेल अधीक्षक, जिला कारागार को प्रेषित की जावे।

दिनांक-10.08.2026

(राहुल सिंह-II)
विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) एक्ट
बलरामपुर (उ०प्र०)

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांक-10.08.2026

(राहुल सिंह-II)
विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) एक्ट
बलरामपुर (उ०प्र०)
J.O.Code-UP1851

(Rahul Singh-II)
Spl. Judge (POCSO Act)
Balrampur (U.P.)
J.O.Code-U[illegible]
Digitally signed by RAHUL SINGH
Date: 2026.08.10 17:21:06 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court